



श्री अरविंद महाविद्यालय (सांध्य)

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा ग्रेड बी + मान्यता प्राप्त

SRI AUROBINDO COLLEGE (EVENING)

(University Of Delhi)

Accredited with grade B+ by NAAC

विवरणिका

PROSPECTUS 2021-22





प्राचार्या का संदेश

नए जीवन पथ पर उर्मिल
दिशाएँ तुम्हारे सम्मुख खाड़ी है

ज्ञान –विज्ञान की वीथिकाओं से जीवन की विशाल आकाशगंगा की ओर आकर्षित होने वाले विद्या उपासकों का श्री अरविन्द महाविद्यालय (सांध्य) के साधना सिंचित प्रांगण में मैं महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर कुसुमलता स्वागत करती हूँ। आप शिक्षा पथ पर चलने वाले पथिक हैं जो अपने गंतव्य की खोज में गतिशील हैं। आप सभी शिक्षा का एक पड़ाव पार कर आए हैं। स्कूल तक आप सभी विविध विषयों के, ज्ञान की अनेक सरणियों से परिचित हो चुके हैं। सभी ने अपनी- अपनी अभिरुचि की अनुकूलता के अनुसार विषय चुने और पढ़े होंगे। दिन-रात परिश्रम करके आपने जीवन का आधारभूत पड़ाव पार कर लिया है। और अब उन्हीं विषयों में पारंगत होने के लिए, उनमें दक्षता प्राप्त करने के लिए, उनसे जीवनयापन करने में सक्षम हो सकने की कामना के साथ-साथ अपनी पहचान बनाने की लालसा आपको शिक्षा के नए शिखर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है।

मैं आप सभी के लिए मंगलकामना करती हूँ कि आप सभी अपने- अपने उत्कर्ष तक पहुँचें। मगर उस उत्कर्ष की यात्रा करते हुए आप सभी से यह अपेक्षा करती हूँ कि श्री अरविन्द का जीवन –दर्शन आपका पाथेय बने। यही आपकी ओर से इस महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने की गुरु दक्षिणा होगी। श्री अरविन्द का एक प्रेरक कथन है और जीवन का सार भी कि “लक्ष्यहीन जीवन हमेशा एक परेशान जीवन होता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन यह मत भूलो कि आपके उद्देश्य की गुणवत्ता आपके जीवन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। आपका उद्देश्य उच्च और व्यापक, उदार और उदासीन होना चाहिए। यह आपके जीवन को अपने और दूसरों के लिए अनमोल बना देगा।” यह पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि आप अपने आप में पूर्णता का एहसास नहीं करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि श्री अरविन्द महाविद्यालय में आपके होने की सार्थकता तभी है जब आप शिक्षा को केवल जीवनयापन के लिए नहीं अपितु जीवन को संस्कारित कर उसकी गुणवत्ता के साधन के रूप में देखें और ग्रहण करें। यही आपके लिए, समाज के लिए और देश के लिए जरूरी है।

कोविड महामारी के जिस भयानक दौर से हम सब गुजर रहे हैं, यह त्रासद समय हमें बार-बार आगाह कर रहा है और सबक सिखा रहा है कि आधुनिक और अति आधुनिक हो चुका समाज भी इस धरती के संतुलन को नहीं बना सका। मानव ने ज्ञान और अपनी शिक्षा को केवल अपने भौतिक विकास के लिए प्रयोग किया। एक अंधी दौड़ में मानवीयता और समस्त चराचर जगत के प्रति संवेदना हम खो चुके हैं। इसी लिए आज हम सभी को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा का अर्थ मात्र धन कमाना, यश कमाना, ज्यादा से ज्यादा समृद्धि का सामान एकत्र करना नहीं है। मनुष्य जाति के जीवन में आई इस विनाशलीला ने हमें बता दिया है कि भारत की सनातन संस्कृति में ही सभी का कल्याण निहित है। क्योंकि वह मितव्ययी है, वह केवल मानव को इस धरती का मालिक नहीं मानती अपितु वह पूरी दुनिया को ‘सर्वे सन्तु निरामया’ का कल्याणकारी मन्त्र देती है। उसके लिए मनुष्य की भौतिक समृद्धि अर्थ नहीं रखती। उसका विश्वास जीवन के आत्मिक और अध्यात्मिक विकास में है। क्योंकि एक अध्यात्मिक जीवन ही इस धरती के कण-कण में प्राण मानकर उसका सम्मान करता है। सम्पूर्ण वसुधा को अपना परिवार मानता है।

महामारी के इस भयानक समय में हम सभी को शिक्षा के व्यापक उद्देश्य सोचने होंगे, जो आदमी के भौतिक विकास के साथ-साथ हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख धरती के पारस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में सहायक हों। यही श्री अरविन्द के भी विचार थे और यही आज के समय की जरूरत भी है। आप सभी इसी चेतना और बोध के साथ अपने ध्येय को प्राप्त करें, यही मेरा आप सभी को आशीर्वचन है।

प्रोफेसर कुसुमलता
(प्राचार्या)

"I swore that I would not suffer from the world's grief and the world's stupidity and cruelty and injustice and I made my heart as hard in endurance as the nether millstone and my mind as a polished surface of steel. I no longer suffered, but enjoyment had passed away from me."

-Sri Aurobindo

महाविद्यालय THE COLLEGE

महाविद्यालय का नामकरण श्री अरविन्द घोष के नाम पर किया गया है। श्री अरविन्द घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था और उनका निधन 5 दिसम्बर 1950 को हुआ। वे एक उच्चकोटि के दार्शनिक, कवि, आध्यात्मिक सुधारक, क्रांतिकारी नेता, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने मानव प्रगति और उसके आध्यात्मिक उन्नति के बारे में अपना निजी दृष्टिकोण विकसित किया। उन्होंने अपने लेखन में प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन, धर्म, साहित्य और मनोविज्ञान का संश्लेषित रूप प्रस्तुत किया है। 'द लाइफ डिवाइन' और 'द सिंथेसिस ऑफ योग' उनकी प्रमुख दार्शनिक पुस्तकें हैं। 'सावित्री: अ लीजेंड एण्ड अ सिंबल' उनकी प्रमुख काव्य कृति है। 15 अगस्त 1947, जो कि श्री अरविन्द घोष का 75 वां जन्म -दिवस भी था, को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त हुई।

श्री अरविन्द महाविद्यालय (सान्ध्य) **Sri Aurobindo College (Evening)**

सन् 1984 में श्री अरविन्द महाविद्यालय (सान्ध्य) की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई के रूप में की गई थी। महाविद्यालय अपनी स्थापना के 37 वर्ष पूरा कर चुका है जो इसके विकास और सफलता का प्रमाण है। इस अवधि का प्रत्येक वर्ष इस युवा संस्थान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। सन् 1987 तक महाविद्यालय में सिर्फ लड़कों को प्रवेश मिलता था। लेकिन सन् 1988 से महाविद्यालय ने लड़कियों के प्रवेश के लिए भी अपना द्वार खोल दिया। शुरुआती वर्षों में महाविद्यालय में सिर्फ बी.ए. पास और बी.कॉम पास कोर्स की पढाई होती थी। किन्तु बाद के वर्षों में बी.कॉम ऑनर्स, बी.ए ऑनर्स हिन्दी, बी.ए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, बी.ए ऑनर्स अंग्रेजी, और बी.ए ऑनर्स अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश दिया जाने लगा।

सत्र 2015-2016 से दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में सी.बी.सी.एस (चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी।

अकादमिक उत्कृष्टता के अलावा महाविद्यालय छात्रा-छात्राओं के समेकित और समग्र व्यक्तित्व के विकास पर विशेष जोर देता है। अनुशासन और ईमानदारी इस संस्था की विशेष पहचान है। महाविद्यालय के पूर्व- छात्र जीवन के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए पूरी ईमानदारी, विश्वास, उत्साह और साहस के साथ काम करते हुए स्वयं को स्थापित कर चुके हैं।

Sri Aurobindo College (Evening) established in 1984 is a constituent College of University of Delhi. The College has completed 37 years that charter all the phases of its growth and success. Each year of this period can be seen as a milestone in the history of this young institution. Upto 1987 college admitted only boys but from 1988 the College opened its doors to women students.

The College began by offering instructions only in B.A. (Pass.) and B.Com. (Pass.) Over the years, courses in B.Com. (Hons.), B.A. (Hons.) Hindi, B.A.(Hons.) Applied Psychology, B.A.(Hons.) English and B.A.(Hons.) Economics were introduced.

From the academic session 2015-16 Choice Based Credit System (CBCS) undergraduate program was introduced in all colleges of Delhi University.

Apart from academic excellence, the College lays special emphasis on the development of an integrated and well-rounded personality of the students. Discipline and sincerity are the hallmarks of this institution. Our alumni hold important positions in life—with responsibility, conviction, zeal and courage and vindicate our faith in the goals before us.

अध्ययन के पाठ्यक्रम/विषय COURSES OF STUDY

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार महाविद्यालय निम्नलिखित सात स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर प्रदान करता है। बी.कॉम (ऑनर्स), बी(कॉम), बी.ए(ऑनर्स) अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान (अप्लाइड साइकोलॉजी), बी.ए (ऑनर्स) हिन्दी, बी.ए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र, बी.ए (ऑनर्स) अंग्रेजी और बी.ए (प्रोग्राम)। विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में आयोजित की जाती हैं। इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा योग्यता पर आधारित और घोषित कट-ऑफ प्रतिशत एवं उसके द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर होता है।

The college offers the following 7 undergraduate courses of study in accordance with regulations laid down by University of Delhi: B. Com (Hons.), B. Com, B. A. (Hons.) Applied Psychology, B. A. (Hons.) Hindi, B. A. (Hons.) Economics, B. A. (Hons.) English and B. A. (Prog.) University Examinations are held at the end of each semester.

Admissions for all the courses is based strictly on merit in accordance with the cut-off percentage declared and the eligibility criteria as prescribed by University of Delhi.

BASIC STRUCTURE: ALL HONOURS COURSES

THREE-YEAR (6-SEMESTER) CBCS PROGRAMME

1.	Ability Enhancement (Elective) Course	2 Papers 4 Credits Each (Total Credits 2×4)	8
2.	Course (Skill Based)	2 Papers 4 Credits Each (Total Credits 2×4)	8
3.	Core Discipline	14 Papers of 6 Credits Each (Total Credits 14×6)	84
4.	Elective Courses (Discipline Specific)	4 Papers of 6 Credits Each (Total Credits 4×6)	24
5.	Generic Elective Courses (Inter - Disciplinary)	4 Papers of 6 Credits Each (Total Credits 4×6)	24
	Total Credits		148

BASIC STRUCTURE: ALL PROGRAMME COURSES

1.	Ability Enhancement (Compulsory) Course	2 Papers 4 Credits Each (Total Credits 2×4)	8
2.	Ability Enhancement Elective course (Skill Based)	4 Papers 4 Credits Each (Total Credits 4×4)	16
3.	Core Discipline	12 Papers of 6 Credits Each (Total Credits 12×6)	72
4.	Elective Courses (Discipline Specific)	4 Papers of 6 Credits Each (Total Credits Hrs. 4×6) (5 Lectures and 1 Tutorial)	24
5.	Generic Elective Courses (Inter - Disciplinary)	2 Papers of 6 Credits Each (Total Credits Hrs. 2×6) (5 Lectures and 1 Tutorial)	12
	Total Credits		132

SCHEME OF PAPERS: ALL HONOURS COURSES

B. COM / APP. PSY. / HINDI / ENGLISH / ECONOMICS

Three Years / 6 Semesters

Three Years / 6 Semesters	Core Courses (14)	Ability Enhancement Compulsory course (AECC) (2)	Ability Enhancement Elective Course (AEEC) (2) (Skill Based)	Elective: Discipline Specific DSE (4)	Elective Generic (GE) (4)
I	C1	(English/MIL Communication)/Environmental Science			GE -1
	C2				
II	C3	Environmental Science/(English/MIL Communication)			GE-2
	C4				
III	C5		AEEC-1		GE-3
	C6				
	C7				
IV	C8		AEEC-2		GE-4
	C9				
	C10				
V	C11			DSE-1	
	C12			DSE-2	
VI	C13			DSE-3	
	C14			DSE-4	

DETAIL OF COURSES

Course	Credits	
	Theory + Practical	Theory + Tutorial
I. Core Course (14 Papers)	14×4=56	14×5=70
Core Course Practical/Tutorial* (14 Papers)	14×2=28	14×1=14
II. Elective Course		
A.1. Discipline Specific Elective (4 Papers)	4×4=16	4×5=20
A.2. Discipline Specific Elective Practical / Tutorials*	4×2=8	4×1=4
B.1. Generic Elective/Interdisciplinary (4 Papers)	4×4=16	4×5=20
B.2. Generic Elective Practical / Tutorials*	4×2=8	4×1=4

* Optional Dissertation or project work in place of one Discipline Specific elective paper (6 Credit) in 6th Semester

III. Ability Enhancement Courses		
Ability Enhancement Compulsory (2 Papers of 4 credits each) Environmental Science English Communication/ MIL	2×4=8	2×4=8
Ability Enhancement Elective (Skill Based) (Minimum 2, Max.4) (2 Papers of 4 credits each)	2×4=8	2×4=8
	Total credit=148	Total credit=148

*wherever there is a practical there will be no tutorial and vice-versa.

SCHEME OF PAPERS: ALL PROGRAMME COURSES

B. COM / B. A.

Three Years / 6 Semesters

Three Years / 6 Semesters	Core Courses (12)	Ability Enhancement Compulsory course (AECC) (2)	Skill Enhancement Course (SEC) (4)	Discipline Specific DSE (4)	Generic (GE) (2)
I	English/MIL-1	English/MIL Communication)/ Environmental Science			
	DSC-1 A				
	DSC-2 A				
II	MIL/English-1	Environmental Science/(En- glish/MIL Communication)			
	DSC-1 B				
	DSC-2 B				
III	English/MIL-2		SEC-1		
	DSC-1 C				
	DSC-2 C				
IV	MIL/English-1		SEC-2		
	DSC-1 d				
	DSC-2 D				
V			SEC-3	DSE-A	GE-1
				DSE-A	
VI			SEC-4	DSE-B	GE-2
				DSE-B	

DETAIL OF COURSES

Course	Credits	
	Theory + Practical	Theory + Tutorial
I. Core Course (12 Papers) Two papers- English Two papers- MIL Four papers - Discipline 1 Four papers - Discipline 2	12×4=48	12×5=60
Core Course Practical/Tutorial* (12 Practicals)	12×2=24	12×1=12
II. Elective Course (6 papers)	6X(4+2)=36	6X(5+1)=36
Two papers - Discipline 1 Specific		
Two papers - Discipline 2 Specific		
Two papers - Generic (Inter disciplinary) from each discipline of choice including papers of Inter disciplinary		

* Optional Dissertation or project work in place of one elective paper (6 Credit) in 6th Semester

III. Ability Enhancement Courses		
Ability Enhancement Compulsory course (AECC) (2 Papers of 4 credits each) Environmental Science, English Communication/MIL	2×4=8	2×4=8
2. Skill Enhancement Course (SEC) (4 Papers of 4 credits each)	4×4=16	4×4=16
	Total credit=132	Total credit=132

*wherever there is a practical there will be no tutorial and vice-versa.

पाठ्यक्रमानुसार कुल सीटों की संख्या और उनका वितरण

COURSE WISE TOTAL NUMBERS OF SEATS AND THEIR DISTRIBUTION

SEATS 2021-2022

Courses	GEN	SC	ST	OBC	EWS	PwD**	TOTAL*
B.com(H)	39	14	07	26	10	04	96
B.com(P)	117	43	22	78	29	11	289
B.A. (H) English	24	09	04	15	06	02	58
B.A. (H) Economics	24	09	04	15	06	02	58
B.A. (H) Hindi	24	09	04	15	06	02	58
B.A. (H) App. Psy.	24	09	04	15	06	02	58
B.A. (P)	117	43	22	78	29	11	289

* (With EWS Seats 25%)

** (Supernumerary Seats)

बी.ए (प्रोग्राम) पाठ्यक्रम के लिए अनुशासन-1 और 2 के वैकल्पिक विषय: Subject Options for Discipline I & II B. A. Programme

बी.ए (प्रोग्राम) पाठ्यक्रम के प्रवेशार्थियों को यह जानना चाहिए कि महाविद्यालय में कोर (अनुशासन-1) के रूप में अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास और अर्थशास्त्र तथा अनुशासन-2 के रूप में राजनीति विज्ञान, इतिहास, संस्कृत, संगीत (गायन) और शारीरिक शिक्षा विषयों की पढाई की सुविधा उपलब्ध है। आवेदक को प्रति अनुशासन एक विषय का चुनाव करना होगा विषयों का संयोजन सीटों की उपलब्धता पर आधारित पर निर्धारित किया जायेगा। अलग-अलग संयोजन के लिए पात्रता अलग-अलग होगी।

Candidates seeking admission to BA Prog may know that the college offers four core (Discipline I) Subjects viz. English, Hindi, History and Economics. For Discipline II the college offers: Political Science, History, Sanskrit, Music and Physical Education. A candidate has to choose one subject from each Discipline (I & II). Combinations are subject to availability of seats. Different discipline combinations may require different cut-off for eligibility.

द्वारिके के लिए आवश्यकताएँ REQUIREMENTS OF ADMISSION

अकादमिक सत्र 2021–2022 में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी योग्य उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के सूचना बुलेटिन की सामग्री को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए और विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल को देखते रहना चाहिए। <http://admissions.du.ac.in>.

नोट:
किसी नियम या प्रक्रिया से संबंधित स्पष्टीकरण, अस्पष्टता अथवा विश्लेषण के मामले में स्नातक पाठ्यक्रम 2021–2022 में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई सूचना बुलेटिन में दिए गए प्रावधानों और विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं में दी गई जानकारी को अंतिम रूप से मान्य समझा जायेगा।

All eligible applicants desirous of seeking admission to Undergraduate Course(s) for the academic session 2021-2022 must read the contents of the University Bulletin of Information carefully and refer to the Undergraduate Admissions Portal, <http://admissions.du.ac.in>.

Note:

*In case of any clarification/ambiguity/interpretation of any rule/procedure, the provision(s) contained in the University Bulletin of Information for Admission to Undergraduate Courses 2021-22 and the notifications issued by the University from time to time shall prevail and shall be final.

स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता–मानदंड Eligibility Criteria for Undergraduate Courses

- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेशी छात्रों की श्रेणी में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को अलग से फॉरेन स्टूडेंट्स रजिस्ट्री वेब साइट (<http://fsr.du.ac.in>) पर आवेदन करना होगा।
- आवेदक को भारत के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी विदेशी बोर्ड या विश्वविद्यालय जिसे एसोसिएशन ऑफ आल इंडिया यूनिवर्सिटीज (ए.आइ.यू) ने 10+2 प्रणाली के बराबर माना हो, से 12वीं की परीक्षा पास होना चाहिए।
- जिस पाठ्यक्रम में छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं, उसके लिए योग्यता और पात्रता निर्धारित करने के लिए आवेदक को अलग–अलग सभी विषयों में पास होना जरूरी है। और अगर कोई प्रायोगिक विषय है, तो उसमें भी पास होना जरूरी है।
- ‘कम्पार्टमेंट’ परिणाम वाले आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के तहत प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।
- स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को ‘गैप इयर’ होने के कारण कोई नुकसान नहीं होगा।

निम्नांकित श्रेणियों को ‘सुपरन्यूमेरी’ (निर्धारित संख्या के अतिरिक्त) निर्दिष्ट किया गया है :

- I. विकलांग व्यक्ति (पी.डब्ल्यू.डी)
- II. पैरामिलिट्री सहित सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चे/विधवाएँ
- III. कश्मीरी प्रवासी (के.एम)।
- IV. जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति।
- V. सिक्किम के नामित छात्र (एस.एस)।
- VI. वार्ड कोटा (डब्ल्यू.क्यू)।
- VII. पाठ्येत्तर गतिविधि (ई.सी.ए)।
- VIII. खेल

- The applicant must be a citizen of India. (Applicants seeking admission under Foreign Students' category to apply separately on Foreign Students' Registry website., <http://fsr.du.ac.in>)
- The applicant should have passed the Class XII examination of any Board/ University examination in India or in any foreign country recognized as equivalent to the 10+2 system by the Association of Indian Universities (AIU).
- The applicant should have passed individually in each subject required (including practicals if any) for calculating merit and eligibility to the course they seek admission in.
- Applicants with "compartment" results are not eligible to apply.
- There is no minimum age for admission to the courses in the college.
- Applicants with gap year(s) will not be at any disadvantage for the purpose of admission to undergraduate courses.

The following categories are designated "supernumerary":

- i) PwD (Persons with Disabilities);
- ii) CW (Children/Widows of Personnel of the Armed Forces including Para-Military);
- iii) KM (Kashmiri Migrants);
- iv) Prime Minister's special scholarship for Jammu and Kashmir;
- v) SS (Nominated Sikkimese Students);
- vi) WQ (Ward Quota);
- vii) ECA (Extra-Curricular Activities);
- viii) Sports.

स्नातक-स्तर में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रमानुसार और श्रेणीनुसार योग्यता सूची The college suggested - course-wise and category-wise merit list

दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी वेब-साइट पर पाठ्यक्रमानुसार एवं श्रेणी अनुसार योग्यता सूची प्रकाशित की है। कॉलेज आवेदकों को सलाह देता है कि वे प्रकाशित सूचना का अनुसरण करें। आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गये अंकों के आधार पर पाठ्यक्रम विशेष के लिए सर्वाधिक अंको चार विषयों की गणना की जाएगी।

The college suggested - course-wise and category-wise merit list published on the University website shall be adhered to. The marks entered by the applicant will serve as the basis for computing the total marks for course-specific combinations of Best Four.

पात्रता की शर्तों में छूट

RELAXATIONS IN ELIGIBILITY CRITERIA

एस.सी./एस.टी./सी.डब्ल्यू./पी.डब्ल्यू.डी श्रेणी के आवेदकों को सम्बद्ध पाठ्यक्रम की योग्यता के लिए पात्रता-परीक्षा में 5% तक की छूट दी जाएगी जबकि ओ.बी.सी. आवेदकों के लिए यह सीमा 10% तक हो सकती है।

Applicants from the SC/ST/CW/PwD category shall be given a relaxation in the respective eligibility for the course concerned in the qualifying examination to the extent of 5%. Whereas applicants from the OBC category shall be given a relaxation in the respective eligibility in the qualifying examination to the extent of 10% of the eligibility marks.

विषयों की सूची

सूची-ए भाषाओं के विषय

सूची ए-१					सूची ए-२
असमिया कोर / असमिया ऐच्छिक	गुजराती कोर / गुजराती ऐच्छिक	मैथिली कोर / मैथिली ऐच्छिक	उड़िया कोर / उड़िया ऐच्छिक	तमिल कोर / तमिल ऐच्छिक	अरबी कोर / अरबी ऐच्छिक
बंगाली कोर / बंगाली ऐच्छिक	हिन्दी कोर / हिन्दी ऐच्छिक	मलयालम कोर / मलयालम ऐच्छिक	पंजाबी कोर / पंजाबी ऐच्छिक	तेलुगु कोर / तेलुगु ऐच्छिक	फ्रेंच कोर / फ्रेंच ऐच्छिक
बोडो कोर / बोडो ऐच्छिक	कन्नड़ कोर / कन्नड़ ऐच्छिक	मणिपुरी कोर / मणिपुरी ऐच्छिक	संस्कृत कोर / संस्कृत ऐच्छिक	उर्दू कोर / उर्दू ऐच्छिक	जर्मन कोर / जर्मन ऐच्छिक
डोगरी कोर / डोगरी ऐच्छिक	कश्मीरी कोर / कश्मीरी ऐच्छिक	मराठी कोर / मराठी ऐच्छिक	संथाली कोर / संथाली ऐच्छिक		इतालवी कोर / इतालवी ऐच्छिक
अंग्रेजी कोर / अंग्रेजी ऐच्छिक	कोंकणी कोर / कोंकणी ऐच्छिक	नेपाली कोर / नेपाली ऐच्छिक	सिंधी कोर / सिंधी ऐच्छिक		स्पेनिश कोर / स्पेनिश ऐच्छिक
					फारसी कोर / फारसी ऐच्छिक

सूची बी: ऐच्छिक विषय

अकाउंटेंसी	कम्प्यूटर साइंस, कम्प्यूटर अपलिकेशन, इनफॉरमेटिक्स प्रैक्टिसेज	गणित
मानव विज्ञान	अर्थशास्त्र	दर्शनशास्त्र / तर्क और दर्शनशास्त्र
जीव विज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी	भूगोल	भौतिक विज्ञान
व्यावसायिक गणित	भूविज्ञान	राजनीति विज्ञान
रसायन शास्त्र	इतिहास	मनोविज्ञान
नागरिक शास्त्र	गृह विज्ञान	समाज शास्त्र
वाणिज्य, व्यवसाय अध्ययन	कानूनी अध्ययन	सांख्यिकी

विशेष दिशा-निर्देश—

- यदि सूची 'ए' और 'बी' में उल्लिखित विषयों में से किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत विषय मेल नहीं खाता है तो आवेदक के लिए यह बाध्यकारी है कि वह अपने संस्थान के प्राचार्य से एन.सी.ई.आर.टी. के 12 वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु के अनुरूप उक्त विषय की समकक्षता होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। आवेदक से उम्मीद की जाती है कि उस विषय से संबद्ध प्रमाण-पत्र के साथ वह पाठ्यक्रम की प्रति भी संलग्न करें। इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- आवेदक का सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि किसी प्रश्न-पत्र में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों भाग शामिल हैं और यदि सैद्धांतिक भाग 70% से कम है तो उस प्रश्न-पत्र में प्राप्त अंको को 70 सैद्धांतिक : 30 प्रायोगिक के अनुपात में ही स्वीकार किया जाएगा।
- अंक-पत्र में आंतरिक मूल्यांकन के उल्लेख का किसी भी प्रकार की गणना में उपयोग नहीं होगा।
- प्रस्तुत किए गये अंकों में सैद्धांतिक और प्रायोगिक या कुल योग संबंधित त्रुटि के लिए आवेदक शवम जिम्मेवार होंगे। अंततः आवेदक का आवेदन निरस्त समझा जाएगा।
- श्रेष्ठ चार (बेस्ट फोर) विषयों के संयोजन के निर्धारण में भाषा के अधीकतम दो विषयों को शामिल किया जाएगा।

List A: Language Subjects

List A1				List A2	
Assamese Core/ Assamese Elec- tive	Gujarati Core/ Gujarati Elective	Maithili Core/ Maithili Elective	Odia Core/ Odia Elective	Tamil Core/ Tamil Elective	Arabic Core/ Arabic Elective
Bengali Core/ Bengali Elective	Hindi Core/ Hin- di Elective	Malayalam Core/ Malayalam Elec- tive	Punjabi Core/ Punjabi Elective	Telegu Core/ Telegu Elective	French Core/ French Elective
Bodo Core/ Bodo Elective	Kannada Core/ Kannada Elec- tive	Manipuri Core/ Manipuri Elec- tive	Sanskrit Core/ Sanskrit Elective	Urdu Core/ Urdu Elective	German Core/ German Elective
Dogri Core/ Do- gri Elective	Kashmiri Core/ Kashmiri Elec- tive	Marathi Core/ Marathi Elective	Santhali Core/ Santhali Elective		Italian Core/ Italian Elective
English Core/ English Elective	Konkani Core/ Konkani Elective	Nepali Core/ Nepali Elective	Sindhi Core/ Sindhi Elective		Spanish Core/ Spanish Elective
					Persian Core/ Elective

List B: Elective Subjects

Accountancy	Computer Science/ Computer Ap- plications/ Informatics Practices	Mathematics
Anthropology		
	Economics	Philosophy / Logic & Philosophy
Biology/Biochemistry/Biotechnol- ogy	Geography	Physics
Business Mathematics	Geology	Political Science
Chemistry	History	Psychology
Civics	Home Science	Sociology
Commerce/Business Studies	Legal Studies	Statistics

Special Instructions

- If a paper's title does not match with what is specified in List A and List B above, it is mandatory for the applicant to provide a content equivalence certificate from the Principal/Head of the Institution last attended, certifying that the paper's content is equivalent to NCERT Class XII syllabus for that paper. This equivalence certificate must be accompanied by a copy of the syllabus of the paper attested by the Principal/Head of the Institution. However, the University of Delhi's decision on the matter will be final and binding.
- Applicants should have passed theory and practical separately. Any paper with both theory and practical component will be considered only in the ratio 70 (theory): 30 (practical) if the theory component of the paper is less than 70%.
- Internal Assessment marks mentioned in the marksheet will not be used for any calculations.
- Any discrepancy in the entry of marks pertaining to theory, practicals or totals will be the sole responsibility of the applicant. Your application form may be summarily rejected.
- A maximum of two language subjects may be allowed for the calculation of marks for best four combination.

अतिरिक्त पात्रता शर्तें Additional Eligibility Criteria

प्रस्तुत पात्रता शर्तें नामांकन वर्ष 2021-22 के लिए लागू होंगी।

योग्यतानुसार कला/सामाजिक विज्ञान /वाणिज्य के पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता शर्तें:

पाठ्यक्रम	न्यूनतम अर्हता और विशेष अर्हता
बी.ए. (आनर्स.) अंग्रेजी	योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना चाहिए। योग्यता का निर्धारण सूची-‘ए’ की एक भाषा और सूची-‘बी’ के तीन श्रेष्ठ विषयों की गणना से होगी और वह भाषा अंग्रेजी होगी।
बी.ए. (आनर्स.) हिन्दी	योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना चाहिए। आवेदक ने योग्यता परीक्षा में कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों और हिन्दी में 50 प्रतिशत अंक हो तो वे प्रवेश के लिए योग्य हैं। आवेदक हिन्दी भाषा में ‘प्रभाकर’ या भारतीय विश्वविद्यालय या बोर्ड से इन्टरमीडियट की परीक्षा 40 प्रतिशत अंकों के साथ पास हों वे प्रवेश के लिए योग्य हैं। श्रेष्ठ चार विषयों की गणना में एक हिन्दी होगी और तीन सूची-‘बी’ के विषय होंगे।
बी.ए.(आनर्स.) अप्लाइड सायकोलॉजी	योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना चाहिए। योग्यता का निर्धारण सूची-‘ए’ की एक भाषा और सूची-‘बी’ के तीन श्रेष्ठ विषयों की गणना के आधार पर होगा।
बी.ए.(आनर्स.) अर्थशास्त्र	योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना चाहिए। योग्यता का निर्धारण सूची-‘ए’ की एक भाषा और सूची-‘बी’ के तीन श्रेष्ठ विषयों की गणना के आधार पर होगा। आवेदक का अर्थशास्त्र (आनर्स.) में प्रवेश हेतु योग्यता परीक्षा में गणित विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
बी.ए. प्रोग्राम (अनुशासनिक विषय आधारित प्रवेश)	योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना चाहिए। योग्यता का निर्धारण सूची-ए की एक भाषा और सूची-बी के तीन श्रेष्ठ विषयों की गणना के आधार पर होगा। सूची-ए और बी के अलावा, दूसरे किसी एक विषय की गणना श्रेष्ठ चार विषयों में बिना किसी धटाव के हो सकती है। सूची से बाहर के एक से अधिक विषयों की गणना हो सकती है लेकिन प्रति एक विषय के लिए 2.5 प्रतिशत अंक कुल प्रतिशत से घट जाएगा। यह कटौती संकाय परिवर्तन के अतिरिक्त होगी।
बी.काम (आनर्स.)	योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना चाहिए। आवेदक का योग्यता परीक्षा में एक विषय के रूप में गणित या व्यवसायिक गणित में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योग्यता का निर्धारण सूची-ए की एक भाषा और सूची-बी के तीन श्रेष्ठ विषयों की गणना के आधार पर होगा। श्रेष्ठ चार के चयन में एक गणित या व्यावसायिक गणित है, दूसरी अंग्रेजी या हिन्दी में से कोई एक भाषा जिसमें न्यूनतम 45 प्रतिशत या उससे अधिक हो। शेष दो विषयों का चयन गणित, एकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र और बिजनेस स्टडी या वाणिज्य में से होना चाहिए। इसके अलावा सूची-बी के विषयों को लेकर गणना करने पर प्रति एक विषय के लिए 1 प्रतिशत अंक कुल अंक से कम हो जाएंगे। सूची-ए और बी से बाहर के विषयों की गणना हो सकती है लेकिन प्रति एक विषय के लिए 2.5 प्रतिशत अंक कुल प्रतिशत अंक से घट जाएगा।

पाठ्यक्रम	न्यूनतम अर्हता और विशेष अर्हता
बी.कॉम	योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना चाहिए। योग्यता का निर्धारण सूची-ए की एक भाषा और सूची-बी के तीन श्रेष्ठ विषयों की गणना के आधार पर होगा। अंग्रेजी या हिन्दी में कोई एक भाषा अनिवार्य है जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हो। शेष तीन विषयों का चयन गणित, एकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र और बिजनेस स्टडी या वाणिज्य में से होना चाहिए। इसके अलावा सूची-बी के अन्य विषयों को लेकर गणना करने पर प्रति एक विषय के लिए 1 प्रतिशत अंक कुल अंक से कम हो जाएंगे। सूची-ए और बी से बाहर के विषयों की गणना हो सकती है लेकिन प्रति एक विषय के लिए 2.5 प्रतिशत अंक कुल प्रतिशत अंक से घट जाएगा।

नोट:

- विश्वविद्यालय किसी अन्य प्रासंगिक विषय को किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए अकादमिक/ऐच्छिक रूप में परिभाषित कर सकता है। यदि आवेदक ने ऐच्छिक और मूल भाषाओं का अध्ययन किया है, तो मूल (कोर) भाषा विषय को भाषा के रूप में माना जाएगा, जबकि ऐच्छिक भाषा को अकादमिक/ऐच्छिक विषय माना जा सकता है।
- कला या मानविकी विषयों में आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए श्रेष्ठ चार विषयों की गणना सूची-ए और बी के अतिरिक्त विषयों को लेकर की जा सकती है जिसके लिए कुल अंक से 2.5 प्रतिशत प्रत्येक विषय के योग से कम होता जाएगा।
- जिस ऑनर्स विषय में नामांकन होना है उस विषय का श्रेष्ठ तीन ऐच्छिक विषय की गणना में जुड़ना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो 2.5 प्रतिशत अंक कुल अंक से कम हो जाएगा।

The following criteria are based on the 2018-19 eligibility criteria and replaces the corresponding information in the Bulletin of Information for Undergraduate Admissions 2021-2022

Merit-based Admission to courses in Arts/Social Sciences/Commerce

B.A. (Hons.) English	<p>An aggregate of 45% marks in the qualifying examination.</p> <p>The merit shall be determined on the basis of one language and three best academic/elective subjects. The applicant must have studied and passed English in the qualifying exam and should include English for calculation of 'Best Four' percentage.</p>
B.A. (Hons.) Hindi	<p>An aggregate of 45% marks in the qualifying examination.</p> <p>Applicants securing 40% marks in the aggregate and 50% marks in the subject concerned are also eligible for admission to the relevant Honours Course.</p> <p>The merit shall be determined on the basis of one language and three best academic/elective subjects. The applicant must have studied and passed Hindi in the qualifying exam and should include Hindi for calculation of 'Best Four' percentage.</p> <p>Applicants who have passed the intermediate Examination of an Indian University/Board with at least 40% marks in the aggregate and also "Prabhakar in Hindi" shall be eligible for admission.</p>
B.A. (Hons.) Applied Psychology	<p>An aggregate of 45% marks in the qualifying examination.</p> <p>The merit shall be determined on the basis of one language and three best academic/elective subjects.</p>
B.A. (Hons.) Economics	<p>An aggregate of 45% marks in the qualifying examination.</p> <p>The merit shall be determined on the basis of one language and three best academic/elective subjects. The applicants must have studied and passed Mathematics at the qualifying exam for admission to B.A. (Honours) in Economics.</p>
B.A. Prog. (Discipline Subject-based Admission Criteria)	<p>An aggregate of 40% marks in the qualifying examination.</p> <p>The merit shall be determined on the basis of one language and three best academic/elective subjects.</p> <p>One Language (Core/Elective/Functional)</p> <p>One non-listed subject (besides the elective subjects in Lists A and B) can be included in calculation of 'Best Four' without any deduction.</p> <p>If more than one non-listed subject is included for calculation of 'Best Four', a deduction of 2.5% each in 'Best Four' shall be levied in addition to deduction due to change of stream, if any.</p>

B.Com. (Hons.)	<p>An aggregate of 45% marks in the qualifying examination.</p> <p>The applicant must have studied and passed Mathematics/Business Mathematics at the qualifying examination for admission to B. Com. (Hons.). Selection shall be made on the basis of marks obtained in qualifying examination including one language and three best subjects as per the following: An aggregate of 45% or more in English/Hindi and combination of best three among the following subjects: Mathematics, Accountancy, Economics and Business Studies/ Commerce.</p> <p>Inclusion of any subject from List B other than mentioned above in the combination of best three will lead to a deduction of 1% per subject on the aggregate.</p> <p>Inclusion of any subject other than those in Lists A and B in the combination of best three will lead to a deduction of 2.5% per subject on the aggregate of the Best Four.</p>
B.Com.	<p>An aggregate of 40% marks in the qualifying examination.</p> <p>Selection shall be made on the basis of marks obtained in qualifying examination including one language and three best subjects as per the following: An aggregate of 40% or more in English/Hindi and combination of best three among the following subjects: Mathematics, Accountancy, Economics and Business Studies/ Commerce.</p> <p>Inclusion of any subject from List B other than mentioned above in the combination of best three will lead to a deduction of 1% per subject on the aggregate.</p> <p>Inclusion of any subject other than those in Lists A and B in the combination of best three will lead to a deduction of 2.5% per subject on the aggregate of the Best Four.</p>

Note:

The University may define any other relevant subjects as academic/elective for a particular course. In case an applicant has studied elective and core languages, the core/elective language subject will be treated as language, while elective language can be considered as academic/elective subject.

For the calculation of Best Four subjects percentage for Arts/Humanities honours courses, if the applicant includes subjects other than those given in Lists A and B, then a deduction of 2.5% of maximum marks will be levied for each such subject for the purpose of calculating 'Best Four'.

#Out of three academic/elective subjects chosen above, one must be the concerned subject in which the admission is sought, failing which a deduction of 2.5% will be imposed on the calculated 'Best Four' percentage.

योग्यता आधारित स्नातक प्रवेश-प्रक्रिया

पहला चरण – आवेदक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाएँ और रजिस्ट्रेशन फार्म भरें जिसमें अपने नामांकन के लिए पसंद के पाठ्यक्रम का चयन करें और आवश्यक प्रमाण-पत्र उस पर अपलोड करें। (रजिस्ट्रेशन और अपलोड संबंधी दिशा-निर्देश के लिए परिशिष्ट-1 देखें) एक बार फार्म भर जाने के बाद आवेदक अपनी सूचनाओं में फेर-बदल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंकों में सुधार (अपडेट) नामांकन की अंतिम तिथि तक किया सकता है।

दूसरा चरण – पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने पर पंजीकरण सम्पन्न होता है। आवेदक भुगतान संबंधी ब्यौरा संभाल कर रखें। यह भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर बतौर प्रमाण काम में आ सकता है।

तीसरा चरण – आवेदक को सलाह दी जाती है कि कट-ऑफ की सूची प्रकाशित होने पर अपने पात्रता संबंधी अंक का मिलान प्रवेश पटल पर करने के बाद पाठ्यक्रम और महाविद्यालय का चयन करें।

चौथा चरण-महाविद्यालय द्वारा दस्तावेजों का, ऑनलाइन सत्यापन महाविद्यालय पात्रता के लिए आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को कट-ऑफ की जरूरतों के अनुकूल सत्यापित करेगा।

- पाठ्यक्रम प्रभारी कट-ऑफ की आवश्यकता के अनुकूल न्यूनतम योग्यता को सत्यापित कर स्वीकृति देगा या खारिज करेगा।
- प्रवेश समन्वयक पात्रता की पुनः जाँच कर प्रवेश पात्रता के अनुकूल प्रवेश का अनुमोदन करेगा या खारिज करेगा।
- प्रवेश समन्वयक द्वारा अनुमोदित या खारिज किया गया दाखिला अंतिम रूप से प्राचार्य द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- आवश्यक दस्तावेजों की कमी के मामले में, आवेदक को ई-मेल या फोन पर संपर्क किया जाएगा ताकि वह जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा सके। आवेदक द्वारा प्रतिक्रिया न देने पर या उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने पर प्रवेश अस्वीकार कर दिया जाएगा। कोई भी आवेदन अनिर्णित नहीं छोड़ा जाएगा। उसे स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा।
- आवेदक को उसके डैशबोर्ड पर आवेदन की स्थिति के बारे में बताया जाएगा।
- अनुमोदित आवेदक द्वारा प्रवेश शुल्क भुगतान कर प्रवेश की पुष्टि पाना आवश्यक होता है। जिनका प्रवेश अस्वीकृत किया गया है उन्हें शिकायत समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करने के लिए एक लिंक प्रदान किया गया है।

पांचवा चरण- प्रवेश की पुष्टि के लिए शुल्क का भुगतान प्राचार्य द्वारा प्रवेश की मंजूरी मिलने के बाद आवेदक को यूजी प्रवेश पट पर अपने डैशबोर्ड पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से उन्हें महाविद्यालय के पाठ्यक्रम की फीस जमा करनी होगी। इस शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होता है।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे कॉलेज के प्राचार्य द्वारा प्रवेश की अनुमति के 24 घंटे के भीतर बिना विलंब के शुल्क का भुगतान करें। पावती, ट्रांजेक्शन आई.डी. वाली पावती, बधाई क्रेडिट-डेबिट कार्ड/ नेट-बैंकिंग विवरण/ लेन-देन की तारीख को प्रमाण के लिए सुरक्षित रखें। शुल्क के सफल भुगतान पर आवेदक को कॉलेज में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाता है।

छठा चरण – यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आवेदक आवंटित समय सीमा के भीतर शुल्क का भुगतान करे जिसमें विफल होने पर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आवेदक की कॉलेज के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने में कोई दिलचस्पी नहीं और प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

सातवाँ चरण—

- यदि बाद के कट-ऑफ में आवेदक स्वयं को किसी अन्य कॉलेज या पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य पाते हैं तो उन्हें पाठ्यक्रम या कॉलेज की आवश्यक पात्रता की सावधानी पूर्वक जाँच करके अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- आवेदकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि वे पाठ्यक्रम या कॉलेज की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। एक बार वे सुनिश्चित कर लेते हैं कि वे कॉलेज विशेष के पाठ्यक्रम विशेष से अपना प्रवेश रद्द करना चाहते हैं तो आवेदक को अपने डैशबोर्ड के माध्यम से अपना प्रवेश रद्द करने के लिए यूजी प्रवेश पटल पर लॉगइन करना होगा।
- प्रवेश रद्द करने के लिए निरस्तीकरण शुल्क लिया जाएगा। प्रवेश रद्द हो जाने के बाद आवेदक पाठ्यक्रम की अर्हता और कॉलेज विशेष की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और कॉलेज का नया संयोजन चुन सकते हैं। एक बार फिर आवेदक को पूर्व के सभी चरणों से गुजरना होगा।
- प्रति कट-ऑफ सूची में केवल एक निरस्तीकरण की अनुमति है। प्रथम कट-ऑफ में किसी अन्य योग्यता आधारित पाठ्यक्रम या कॉलेज में प्रवेश संभव नहीं होगा। यदि आवेदक किसी अन्य पाठ्यक्रम या कॉलेज के विकल्प में प्रवेश चाहता है तो केवल बाद की सूची में रद्द करने का प्रयास करना चाहिए। एक कट-ऑफ के भीतर आवेदक को पाठ्यक्रम और कॉलेज में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। रद्द करने की कुल संख्या (डी-1) तक सीमित रहेगी जहाँ 'डी' कट-ऑफ सूची की कुल संख्या है।
- एक बार अगर आवेदक अपना प्रवेश निरस्त कर लेता है तो वह फिर से उस पाठ्यक्रम या कॉलेज में स्वतः प्रवेश नहीं पा सकता है। सीटों की उपलब्धता और पाठ्यक्रम की विशिष्ट पात्रता और आवश्यकता के अधीन आवेदक को नए सिरे से प्रवेश प्रक्रिया से गुजरना होगा।

आठवाँ चरण – जब आवेदक बाद की सूची में अपने पिछले प्रवेश को रद्द कर देता है, तो वापस की गई शुल्क की राशि डैशबोर्ड के 'वॉलेट' अनुभाग में दिखाई देगी। निरस्तीकरण शुल्क (1000/-) एक हजार रुपए काट लिए जाएंगे और वॉलेट में रिफंड की राशि परिलक्षित होगी।

नौवाँ चरण— बाद के प्रवेश की मंजूरी के बाद डैशबोर्ड के माध्यम से प्रवेश शुल्क स्वचालित रूप से समायोजित हो जाएगा और आवेदक को केवल शेष शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि यह पिछले कॉलेज में पहले से भुगतान की गई फीस से अधिक है और बाद वाले कॉलेज में फीस कम है तो प्रवेश के बंद होने के बाद शेष राशि आवेदक के खाते में या विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आवेदक द्वारा घोषित खाते में वापस कर दी जाएगी।

दसवाँ चरण—आवेदक ने एक बार प्रवेश पा लिया, तो उसे एक ऑनलाइन घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें यह स्वीकृति होगी कि— "मेरे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सही है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई सूचना गलत है या मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है तो मैं समझता/समझती हूँ कि प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। मैं विश्वविद्यालय और कॉलेज द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करूँगा/करूँगी।"

UNDERGRADUATE MERIT-BASED ADMISSION PROCESS

Step 1: Applicant uses the university portal to create their personal username and password, fills in their registration form, chooses their courses of interest, and uploads the required documents. (See Annexure I for detailed guidelines on how to register using the portal). Exercise extreme care in filling up your form. Much of the information you enter into the form will not be possible to edit and correct after submission of the form. Updation of marks will be permitted till the last date of admissions.

Step 2: Complete the registration by paying the registration fee in online mode only. Keep the records of transaction ID, Credit Card/ Debit card/Net banking details and date of transaction as proof for future reference.

Step 3: On declaration of the List of Cut-Off marks Applicants are advised to log in to the admission portal to choose a college and course from the list of colleges and courses they are eligible for.

Step 4: The applicant proceeds to the respective college for admission with a print out of the form from the admissions portal, and the required supporting original documents along with their photocopies, and 3 recent passport size photographs.

Step 5: The applicant presents the documents in the college and produces their originals for verification, after which the Principal of the college approves the admission. In case all documents cannot be verified online, the College will give provisional admission. Admitted provisional students have to produce the originals of the required mandatory documents to the College within a week after the last day of UG Admissions for forensic verification, failing which the admission of the said provisional student may be cancelled by the College.

All colleges shall admit all applicants who meet the announced cut-off criteria. There will not be any —first come first serve|| policy.

Late arrivals outside of the prescribed duration of each cut-off will not be entertained. Eligible Applicants of the (n-1)th Cut-Off List, if any, shall be entertained for admissions only in the last hour of the third day of current nth Cut-Off subject to the availability of vacant seats.

Step 6: The applicant will receive a link on their online portal to pay the fee, which can only be paid online through the portal. The applicant is advised to pay the fee without delay within 24 hrs after the approval of admission by the Head of Institution and save the acknowledgement slip bearing transaction ID, Credit Card/ Debit card/ Net banking details and date of transaction as a proof for future reference. On successful payment of fees, the applicant is granted provisional admission to the said college.

Congratulations!

You are now a Provisional student of University of Delhi, subject to verification of all your documents and satisfying all other eligibility and merit criteria.

Step 7: Change of course/college: If, in subsequent lists, the applicant finds themselves eligible for admission to any other colleges/courses, they should ensure their eligibility by visiting the College/ Department. Applicants are advised to exercise extreme care to ensure that

they meet the requirements for the College/ Course. Once they are certain, they are to cancel their previous admission through the online portal and go with their new application form and complete steps 4-6. Advisory: Please ensure that you qualify for the cut-off in the college you wish to shift to by checking in person before you cancel your admission. Once cancelled, you cannot be re-admitted in the eventuality that you do not secure admission in the next college.

Step 8: When the applicant cancels their previous admission in the subsequent Cut-Off List, the refunded fee amount will be visible in the —Wallet‖ section of the Dashboard. A cancellation fee of Rs. 1,000 (Rupees One thousand only) will be deducted. Only one cancellation is allowed per Cut-off List.

Step 9: When the applicant pays the admission fee, as in Step 6, through the Dashboard after the admission is approved, the admission fee will be adjusted automatically and the applicant will have to pay only the balance fee if it is more than the fees already paid at the previous college. If the fee in the latter college is less, the balance will be refunded to the applicant's account or to an account declared by the applicant as per the College/University rules after the admissions are closed.

Step 10: Once the applicant has gained admission, they will have to sign a declaration stating —I shall abide by all the rules and regulations laid down by the University and the College. Applicants are advised to read and familiarize themselves with all relevant Ordinances of the University and the college rules.

अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के आवेदकों के लिए सीटों में आरक्षण

- अनारक्षित श्रेणी के लिए योग्यता सूची में उपरोक्त वर्गों के उम्मीदवार भी शामिल होंगे यदि वे अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के मानदण्ड को पूरा करते हैं। किसी भी उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी की योग्यता सूची से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह उपरोक्त श्रेणियों से संबंधित है अथवा उसके तहत आवेदन किया है। इन श्रेणियों के उम्मीदवारों को अनारक्षित के साथ-साथ आरक्षित श्रेणी के तहत विचार करने का अधिकार है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए कुल सीटों का 22.5 प्रतिशत आरक्षित है जिसमें 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए और शेष 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है। आवश्यकता अनुसार इनमें आपस में विनियम हो सकता है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों को भरना कॉलेज का संवैधानिक दायित्व है।
- किसी भाषा विशेष या भाषा-माध्यम के आधार पर कॉलेज किसी एस.सी. या एस.टी. आवेदक को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। किसी भाषा विशेष का न जानना आवेदक के लिए समस्या नहीं होना चाहिए। इसके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। यू.जी.सी. इसके लिए अनुदान देती है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता की शर्तों में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है।
- 5 प्रतिशत की छूट के बाद भी अगर कॉलेज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीट खाली रह जाती है तो इन सीटों को भरने के लिए और अंकों की छूट दी जा सकती है।

- (ए सी रीजोल्यूशन ए88, 14.6.1983) (ई सी रीजोल्यूशन 157, 24.12.2001) के अनुसार सभी कॉलेज/विभाग के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भरना, संवैधानिक बाध्यता है। ऐसे मामलों में आवेदक का योग्यता परीक्षा में सिर्फ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- निम्नलिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत (जारी) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र मान्य होंगे—
 - (अ) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/समाहर्ता/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी का वजीफाग्राही मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/ अनुमंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/आधिशाली मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
 - (आ) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडीशनल प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
 - (इ) तहसीलदार या उससे ऊपर के रेवेन्यू अधिकारी
 - (ई) आवेदक जिस क्षेत्र में निवास करता है उस क्षेत्र का अनुमंडल अधिकारी
 - (उ) लक्ष्यद्वीप के लिए वहाँ का प्रशासक, प्रशासक का सचिव या विकास अधिकारी
 - (i) आवेदक इस बात का ध्यान रखें कि इन सक्षम अधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
 - (ii) जाति प्रमाण-पत्र में निम्न बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए
 - (क) जाति/जनजाति का नाम
 - (ख) आवेदक अनुसूचित जाति से है या अनुसूचित जनजाति से
 - (ग) आवेदक का आवासीय पता प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था के कार्यालय के क्षेत्राधिकार में हो
 - (घ) आवेदक की जाति या जनजाति को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति की मान्यता प्राप्त हो

अगर आवेदक के पास पंजीकरण या आवेदन के वक्त जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए आवेदक ने जिसे प्रमाण-पत्र-कार्यालय में आवेदन किया हो, उसकी पावती अपलोड कर सकते हैं। प्रवेश के समय आवेदक को मान्यता प्राप्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए आरक्षण

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए आरक्षण दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचना (संदर्भ संख्या 1/ई.डब्ल्यू.एस. का आरक्षण/2019/63 दिनांकित 28 मार्च, 2019 का आरक्षण और संदर्भ संख्या शैक्ष. 1 / ई. डब्ल्यू. एस. का आरक्षण / 2019 / 63 दिनांकित 15 मई 2019) के अनुसार विश्वविद्यालय के विभागों / केन्द्रों / महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से इसके लिए प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। ऐसे उम्मीदवारों की पात्रता उपर्युक्त अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजों को परिशिष्ट में दिए गए प्रारूप प्रस्तुत करने के आधीन तय की जाएगी।

अस्वीकरण

1. किसी भी परिस्थिति में आवश्यक प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए कोई और विस्तार / छूट नहीं दी जाएगी।
2. यदि आवेदक को भूलवश अथवा किसी अन्य कारण से हाल ही के वित्त वर्ष (2021-2022) ओ.बी.सी. गैरक्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र के बिना प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय / विभाग बिना पूर्व सूचना और बिना किसी देयता के प्रवेश रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Reservation of Seats for Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) applicants

- 22½ % of the total numbers of seats is reserved for applicants belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes (15% for Scheduled Caste and 7½% for Scheduled Tribes, interchangeable if necessary).
- It is a statutory obligation on the part of Colleges to fill all seats reserved for Scheduled Caste / Scheduled Tribe applicants.
- Colleges shall not refuse admission to any SC/ST applicant on the basis of medium of instruction. Any deficiency in the knowledge of any particular language should be addressed; for this purpose remedial classes may be arranged by the College by utilizing grants available from University Grants Commission.
- Relaxation to the extent of 5% in the minimum marks shall be given to the applicants belonging to SC and ST to determine their eligibility and merit for admission to the course concerned.
- In case, after giving 5% relaxation, the reserved seats still remain vacant, further relaxation would be given to the extent required in order to fill all the reserved seats. (AC Resolution A88, 14.6.1983) (EC Resolution 157, 24.12.2001). It is obligatory for all Colleges/Departments to fill all the seats reserved for SC/ST applicants. Eligibility in these cases is pass percentage.
- The following are empowered to issue the requisite SC/ST certificate:
 - a. District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Addl. Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.
 - b. Chief Presidency Magistrate/ Addl. Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
 - c. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
 - d. Sub- Divisional Officer of the area where the Applicant and/ or his family normally resides.
 - e. Administrator / Secretary to the Administrator/ Development Officer (Lakshadweep Islands).

The applicant must note that the SC/ST Certificate from any other person/ authority shall not be accepted in any case. If the applicant happens to belong to SC or ST, applicant's caste/ tribe must be listed in the appropriate Govt. of India Schedule.

The Caste Certificate should clearly state: (a) Name of his/ her caste/ tribe (b) whether applicant belongs to SC or ST (c) District and the State or Union Territory of applicant's usual place of residence, and (d) the appropriate Govt. of India Schedule under which his/ her caste/ tribe is approved as SC or ST. If the applicant does not have their SC or ST caste/tribe certificate at the time of registration/applying, they may upload the acknowledgement slip of the SC or ST caste/tribe certificate application. However, at the time of admission, the applicant will have to produce the valid original SC or ST caste/tribe certificate.

However, if an SC/ST Applicant seeks admission under some other category (for example: PwD/Employee Ward, etc.) the applicant should satisfy the minimum eligibility requirement for that particular category.

For details admission and concession criteria regarding all other reserved categories and quota seats please refer to the university bulletin of information 2021-22.

विदेशी आवेदकों के लिए सीटों में आरक्षण

विदेशी आवेदकों के लिए कुल सीटों में 5 प्रतिशत सिटें आरक्षित हैं। विदेशी आवेदक जिन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्डों से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो या किसी अन्य विदेशी बोर्ड से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वे दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों/विभागों/कॉलेजों में पंजीकरण और प्रवेश के निमित्त आरक्षित सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विदेशी आवेदक स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन विशेष पोर्टल 'विदेशी छात्र रजिस्ट्रेशन' के माध्यम से ही कर सकते हैं। इस संदर्भ में विशेष जानकारी के लिए डिप्टी डीन (फॉरेन स्टूडेंट्स रजिस्ट्री), कॉन्फरेंस सेंटर, दिल्ली विश्व विद्यालय-110007 से संपर्क किया जा सकता है।

Reservation of Seats for Foreign Applicants

All foreign applicants including those who have completed their schooling from an Indian Board may be treated as Foreign Students for the purpose of their registration / admission in various Departments and Colleges of the University and they may be considered for admission under 5% quota prescribed for foreign students. The foreign applicants seeking admission to Undergraduate course should apply online through the Foreign Students' Registry portal <http://fsr.du.ac.in> and can contact the Deputy Dean (Foreign Students' Registry), Conference Centre, University of Delhi-110007.

दाखिला की जरूरतें

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदक को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) से 12 वीं की परीक्षा या उसके समतुल्य मानी गई कोई अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समतुल्यता मानदंड के लिए आवेदक विश्वविद्यालय सूचना बुलेटिन 2021-2022 का अवलोकन कर सकते हैं।

Requirements for Admission

Qualifying examinations for the purpose of admission to the first year of undergraduate courses offered by the University of Delhi shall be Senior Secondary School Certificate Examination (Class XII) of the Central Board of Secondary Education or an examination recognized as equivalent thereto.

For Equivalence Criteria you may refer to the university bulletin of information 2021-22.

पुनर्मूल्यांकन

दाखिला के लिए निर्धारित अवधि में सम्बद्ध बोर्ड के द्वारा पुनर्मूल्यांकन के कारण यदि आवेदक के अंकों में वृद्धि होती है, तो महाविद्यालय उसे स्वीकार करेगा बशर्ते कि ऐसे आवेदक दाखिले के लिए निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करते हों और पाठ्यक्रम/महाविद्यालय में दाखिले के लिए सीट उपलब्ध हो। विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय सभी अभीष्ट सूचनाओं को विश्वविद्यालय दाखिला पोर्टल पर अद्यतन करता रहेगा।

Rechecking/Revaluation

The colleges shall consider admission of the applicants whose marks get increased in the process of rechecking/ revaluation by their respective boards within the prescribed period of admission provided that such applicant fulfils the other eligibility conditions laid down for admission and seats are available in course/ college. The college will be required to update all the information on University Admission portal as per the University rules.

दाखिले के समय अपेक्षित दस्तावेजों की सूची

आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निम्नांकित दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ-साथ उनके दो-दो स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों को भी दाखिले के समय प्रस्तुत करेंगे ।

(क) कक्षा दस का प्रमाण-पत्र या अंक तालिका जिसमें आवेदक की जन्म तिथि और माता-पिता के नाम का उल्लेख हो । (जो आवेदक एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी/इ.डब्ल्यू.एस/सी.डब्ल्यू/के.एम की श्रेणी में आरक्षण की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, उनके मूल प्रमाण-पत्रों और आरक्षण प्रमाण-पत्रों में आवेदक और उनके माता-पिता के नाम एक जैसे होने चाहिए)

(ख) कक्षा बारह की अंक-तालिका ।

(ग) सक्षम प्राधिकार द्वारा आवेदक के नाम जारी एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी/इ.डब्ल्यू.एस/सी.डब्ल्यू/के.एम प्रमाण-पत्र । (उपरोक्त श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा का दावा करने वाले आवेदकों के और उनके माता-पिता के नाम उनके स्कूली प्रमाण-पत्रों और आरक्षण प्रमाण-पत्रों में एक समान होना चाहिए)

(घ) सक्षम प्राधिकार द्वारा आवेदक के नाम जारी ओ.बी.सी (नॉन क्रिमिलेयर) प्रमाण-पत्र जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि वह जाति केन्द्रीय सूची में दर्ज है । (इस श्रेणी में आरक्षण की सुविधा का दावा करने वाले आवेदकों के और उनके माता-पिता के नाम उनके स्कूली प्रमाण-पत्रों और आरक्षण प्रमाण-पत्रों में एक समान होना चाहिए ।)

(ङ.) सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी इ.डब्ल्यू.एस प्रमाण-पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक इस श्रेणी में आवेदन कर सकता है । (इस श्रेणी में आरक्षण की सुविधा का दावा करने वाले आवेदकों के और उनके माता-पिता के नाम उनके स्कूली प्रमाण-पत्रों एवं आरक्षण प्रमाण-पत्रों में एक समान होना चाहिए)

List of Documents required at the time of Admission

The applicants shall be required to produce the following documents in original with two sets of self-attested photocopies at the time of admission:

1. Class X Certificate (Mark-sheet or certificate) indicating date of birth and Parents' names* (The names of applicants claiming reservation under SC/ST/OBC/EWS/CW/KM must match with the names that appear on the corresponding reservation certificates; similarly their parents' names must match in both sets of certificates).
2. Class XII Mark-Sheet.
3. SC/ST/OBC/EWS/CW/KM Certificate (in the name of the Applicant) issued by the competent authority. (The names of applicants claiming reservation under SC/ST/OBC/EWS/CW/KM must match with the names that appear on their corresponding School Board quali-

fying certificates; similarly their parents' names must match in both sets of certificates).

4. OBC (Non-Creamy Layer) Certificate (in the name of the Applicant) issued by the competent authority, and wherein the caste is in the OBC central list issued by <http://ncbc.nic.in>. (The name of the applicant claiming reservation under OBC (Non-Creamy Layer) must match with the applicant's name as it appears on their corresponding School Board qualifying certificates; similarly their parents' names must match in both sets of certificates).
5. EWS Certificate from competent authority certifying the applicant can claim reservation under this category. (The names of applicants claiming reservation under this category must match with the names that appear on their corresponding School Board qualifying certificates; similarly their parents' names must match in both sets of certificates).

दाखिला शिकायत निवारण समिति

विश्वविद्यालय के डीन छात्र-कल्याण कार्यालय में एक केन्द्रीय दाखिला शिकायत निवारण समिति कार्य करती है। महाविद्यालय की अपनी दाखिला शिकायत निवारण समिति है। दाखिले के दरम्यान इस समिति के सदस्यों के नाम महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जाएँगे।

Admission Grievance Committee

There is a Central Admission Grievance Committee, located in the Dean Students' Welfare Office. The college has its own Grievance Committee. The names of College Grievance Committee Members are displayed on the College Notice Board.

आवेदक- महाविद्यालय अंतर्क्रिया

आवेदक संबंधित विभाग के प्रभारी से महाविद्यालय में अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन आई. डी. साझा करेंगे और अपने मूल प्रमाण-पत्रों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेंगे।

महाविद्यालय पोर्टल से पहले से भरे हुए आवेदन-पत्र का प्रिंट-आउट निकालेगा।

महाविद्यालय में दस्तावेजों के सत्यापन और स्वीकृति के उपरान्त आवेदक एडमिशन डैशबोर्ड पर लॉग इन कर के 24 घंटे के अन्दर आवश्यक शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

Applicant-College Interaction:

- i. Applicant shares their unique registration ID with the Teacher In-charge of the respective Department in the College and produces their originals for verification.
- ii. The college prints out of the pre-filled admission form from the portal.
- iii. On verification and acceptance of the documents in the college, the applicant logs in to the Admissions Dashboard to pay the requisite fee in 24 hours.

ACADEMIC CALENDAR 2021-22

The Academic Calendar to be followed for the first year of Undergraduate courses for the academic year 2021-22, is hereby notified for necessary compliance by all concerned:

FIRST BATCH/FIRST SEMESTER	
Commencement of Classes	22 nd November, 2021 (Monday)
Preparatory Break and Practical Examinations	11 th March, 2022 (Friday) to 20 th March, 2022 (Sunday)
Conduct of Examinations	21 st March, 2022 (Monday) to 04 th April, 2022 (Monday)
Semester Break	05 th April, 2022 (Tuesday) to 06 th April, 2022 (Wednesday)
EVEN SEMESTER (FIRST YEAR)	
Commencement of Classes	07 th April, 2022 (Thursday)
Preparatory Break and Practical Examinations	26 th July, 2022 (Tuesday) to 04 th August, 2022 (Thursday)
Conduct of Examinations	05 th August, 2022 (Friday) to 22 nd August, 2022 (Monday)
Semester Break	23 rd August, 2022 (Tuesday) to 25 th August, 2022 (Thursday)
Commencement of Next Academic Session for this batch	26 th August, 2022 (Friday)

भुगतान संबंधी मुद्दे से कैसे निबटें?

भुगतान दो कारणों से विफल हो सकता है :

1. भुगतान की राशि आपके खाते से डेबिट ना होने पर आपको आपके बैंक से भुगतान संसाधित न होने का संदेश प्राप्त होगा और भुगतान विफलता स्क्रीन पर भी दिखाई देगी।
2. भुगतान की राशि खाते से डेबिट हो जाने और एतदर्थ कोई सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में आईसीआईसीआई आदि भुगतान प्लेटफॉर्म पर एक ईमेल भेजकर भुगतान की स्थिति की जांच की जा सकती है।

भुगतान विफलता के कारण:

1. खराब इंटरनेट कनेक्शन – एक सफल लेन-देन के लिए एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन महत्वपूर्ण है। एक उतार-चढ़ाव वाला कनेक्शन लेन-देन को प्रभावित कर सकता है। साथ ही, टैब या विंडो बंद करने पर भुगतान विफल हो जाएगा या अधूरा भुगतान हो जाएगा।
2. प्राधिकृत विफलता – यदि भुगतान गेट वे बैंक से कनेक्ट नहीं होता है या बैंक भुगतान को अधिकृत नहीं करता है, तो लेन देन विफल हो सकता है। यह भुगतान मंच के नियंत्रण से परे है। अगर आपका पैसा कट जाता है तो आप बैंक और प्लेट फॉर्म से चेक कर सकते हैं।
3. प्रमाणीकरण विफलता – यदि नाम, कार्ड संख्या, सीवीवी ओटीपी पासवर्ड आदि गलत दर्ज किए गए हैं, तो बैंक भुगतान को अस्वीकार कर देगा, और इसे संसाधित नहीं किया जाएगा। सामान्य तौर पर पैसा डेबिट नहीं होता है और आप कुछ मिनटों के बाद दूसरा लेन देन करने का प्रयास कर सकते हैं।
4. विलंबित सूचना— एक सफल लेन देन के बाद आपको आम तौर पर भुगतान की सफलता के बारे में एक सूचना प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी खराब नेटवर्क की समस्याओं के कारण तुरंत ऐसा नहीं होता है। आप कुछ घंटों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं और यदि आपको कोई पावती नहीं मिलती है तो विक्रेता या भुगतान मंच से संपर्क करें। यदि आपको उपरोक्त किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो कृपया आई सी आई सी आई जी पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन से संपर्क करें (पंजीकरण/प्रवेश के दौरान सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6:15/9.00 बजे तक)

ईमेल: pandey.rahul@icicibank.com

ईमेल के लिए, कृपया नीचे दिए गए मानक प्रारूप का उपयोग करें:

छात्र का नाम: एबीसी

लेन-देन की तिथि: 25.04.19

ईजी पे संदर्भ संख्या। : 192010003456

कोर्स के लिए आवेदन किया: B-COM

ईमेल आईडी: abc@gmail.com

मोबाइल नं. डीयू आवेदन में दर्ज: 9123456779

जिज्ञासा

ईजीपे भुगतान गेटवे: आवेदक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके का उपयोग कर के ग्राहक वेबसाइट/ऐप पर भुगतान करने के लिए ईजी पे भुगतान गेटवे का उपयोग कर सकते हैं: डेबिटकार्ड/क्रेडिट कार्ड /नेट बैंकिंग/एकीकृत भुगतान इंटर फेस (यूपीआई)

डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए कदम

- फॉर्म भरने और उपरोक्त विकल्प चुनने के बाद, आवेदक को स्वचालित रूप से ईजीपे पीजी (<https://eazypay.icicibank.com>) पर निर्देशित किया जाएगा।
- यदि डेबिट/क्रेडिट कार्ड चुनते हैं: वीसा/मास्टर द्वारा आवश्यक प्रमाणीकरण के लिए कार्ड विवरण यानी कार्ड नंबर, सीवीवी, समाप्ति की तारीख दर्ज करें।
- यदि नेट बैंकिंग चुनते हैं: आई डी और पासवर्ड दर्ज करें और अपने नेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, भुगतानकर्ता के खाते से राशि डेबिट कर दी जाएगी।
- उन्हें क्लाइंट वेबसाइट पर वापस भेज दिया जाता है और क्लाइंट सर्वर को लेन-देन की स्थिति के साथ अपडेट कर दिया जाता है। भुगतानकर्ता के लिए क्लाइंट पोर्टल से एक रसीद तैयार की जाएगी।
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई):
फॉर्म भरने और उपरोक्त विकल्प चुनने के बाद, आवेदक को स्वचालित रूप से ईजीपे पीजी (<https://eazypay.icicibank.com>) पर निर्देशित किया जाएगा।
- टेक्स्ट बॉक्स में पसंदीदा वीपीए दर्ज करें। वीपीए किसी भी बैंक का हो सकता है। आपको आपके भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) मोबाइल एप्लिकेशन पर सूचित किया जाएगा।
- सभी विवरण सही हैं यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-पुष्टिकरण स्क्रीन की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें।
- वह खाता चुनें जिससे आप डेबिट करना चाहते हैं और सबमिट पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद राशि आपके खाते से डेबिट कर विश्वविद्यालय के खाते में जमा कर दी जाएगी।
- यूपीआई लेनदेन के संपन्न होने के लिए आदर्श प्रतीक्षा समय 2 मिनट है। आपको सलाह दी जाती है कि पेमेंट गेटवे पर भुगतान समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें और दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित हो जाएं।

प्रवेश वापस लेने/रद्द करने के कारण शुल्क की वापसी के नियम

क्रमांक	वापसी की मांग के कारण	वापसी शुल्क की मात्रा
1	जब कोई छात्र प्रवेश की अंतिम तिथि तक प्रवेश वापस लेने के लिए आवेदन करता है	1000 / – और परीक्षा शुल्क की कटौती के बाद पूर्ण शुल्क।
2	जब विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की ओर से गलती/चूक/कृत्य के कारण अनजाने में प्रवेश दिया जाता है।	पूर्ण शुल्क और पूर्ण परीक्षा शुल्क।
3	जब प्रवेश रद्द करना तथ्यों को छुपाने/झूठ बोलने, झूठे/फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, छात्र द्वारा भ्रामक जानकारी प्रदान करने या छात्र की ओर से किसी त्रुटि/गलती के कारण होता है।	कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
4	जब स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम का कोई छात्र प्रवेश की अंतिम तिथि को या उससे पहले प्रवेश वापस लेने के लिए आवेदन करता है।	1000 / – रुपये और पूर्ण परीक्षा शुल्क की कटौती के बाद पूर्ण शुल्क।
5	यदि किसी छात्र के प्रवेश के बाद प्रवेश की अंतिम तिथि के एक महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है।	परीक्षा शुल्क सहित पूरा शुल्क उसके माता-पिता को वापस कर दिया जाएगा

PAYMENT RELATED ISSUES

How to Deal with Payment Failures

A payment may fail due to two reasons:

1. The payment amount is not debited from your account: You might receive a message from your bank that the payment could not be processed. You will also see the payment failure screen.
2. The payment amount is debited from your account: In this case, you will be left wondering why you did not see any kind of notification. You can send an email to the ICICI payments platform and check the status of that payment.

Reasons for Payment Failure:

- I. Bad internet connection – A stable internet connection is crucial for a successful transaction. A fluctuating connection can affect the transaction. Also, closing the tab or window will result in failed payment or incomplete payment.
- II. Authorization failure – If the payment gateway cannot connect with the bank and/or the bank does not authorise the payment, there can be a transaction failure. This goes beyond the control of payments platform. If your money is deducted then you can check with the bank and the platform.
- III. Authentication failure – Wrong details entered – If the details entered (Name, Card No, CVV, OTP/password etc) are incorrectly entered, the bank will reject the payment and it will not be processed. Usually, money is not debited and you can try another transaction after few minutes.
- IV. Delayed notification – After a successful transaction, you should usually receive a notification about the success of the payment. But sometimes, this does not happen immediately due to poor network issues. You can wait for few hours and if you do not receive any acknowledgment then contact the seller or the payment platform. In case you face any of the above difficulties, please feel free to contact the ICICI Eazypay Payment Gateway helpline (9:30 a.m. to 6:15/9.00 p.m., Monday to Saturday during Registration /Admissions)

7428877012 and 8929638874

Email: pandey.rahul@icicibank.com.

For email, please use the standard format given below:

Student name	Date of Transaction	Eazypay reference no.	Course applied to	Email ID	Mobile no. entered in DU application	Query
ABC	25.04.19	192010003456	B.COM	abc@gmail.com	9123456779	

Eazypay payment gateway: Applicants can use Eazypay payment gateway to make payments on the client website/app using any of the following modes: Debit Card/Credit Card/Net Banking/Unified Payments Interface (UPI) Steps for using Debit Card/Credit Card/Net banking:

- After filling the form and choosing the above option, the applicant will be automatically directed to Eazypay PG (<https://eazypay.icicibank.com>)
- If choosing Debit/Credit Card: Enter card details i.e. Card No, CVV, Date of expiry for necessary authentication by VISA/Master.
- If choosing Net banking: Enter user ID and password and log into your Net Banking account. Post successful authentication, amount will be debited from payer's account.
- They are re-directed back to client website and client server is updated with transaction status. A receipt will be generated for payer from the client portal.

Unified Payments Interface (UPI):

- After filling the form and choosing the above option, the applicant will be automatically directed to Eazypay PG (<https://eazypay.icicibank.com>).
- Enter preferred VPA in the text box. VPA can be of any bank.
- You will be notified on your Payment Service Provider (PSP) mobile application.
- Review the pre-confirmation screen carefully to ensure all details are correct.
- Choose the account you would like to debit and click on submit.
- Post successful authentication, amount will be debited from your account and credited to the University account.
- Ideal wait time for UPI transaction to get concluded is 2 minutes. You are advised to wait for the payment to conclude over Payment Gateway and get redirected to the Delhi University website.

Rules for Refund of Fee on Account of Withdrawal/Cancellation of Admission

Sr. No.	Reasons for seeking refund	Quantum of fee to be refunded
1	When a student applies for withdrawal of admission up to last date of admission	Full fee after deduction of Rs. 1000/- and full examination fee.
2	When admission is made inadvertently due to error/omission/commission on the part of the University/College	Full fee and full examination fee.
3	When cancellation of admission is due to concealment/falsification of facts, submission of false/fake certificates(s), providing misleading information by the student or for any error/mistake on the part of the student.	No fee will be refunded.
4	When a student of Self-Financing course applies for withdrawal of admission on or before the last date of admission.	Full fee after deduction of Rs. 1000/- and full examination fee.
5	In case a student after his/her admission expires within one month of the last date of admission.	Full fee including examination fee will be refunded to his/her parents.

विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण अध्यादेश :

सफल आवेदक विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे। महाविद्यालय में दाखिले के समय उन्हें इस बात का लिखित वचन देना होगा। यहाँ विश्वविद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण अध्यादेशों का सार प्रस्तुत किया जा रहा है।

अध्यादेश 15-B: विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन की देखभाल

1. अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई सम्बन्धी सभी शक्तियाँ कुलपति के पास हैं।
2. कुलपति विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन कायम रखने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं या प्रॉक्टर या किसी अधिकारी को संदर्भित शक्ति प्रदान कर सकते हैं।
3. अध्यादेश के तहत पूर्वाग्रह रहित होकर अनुशासन लागू करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। निम्नलिखित गतिविधियाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन मानी जाएगी: —
 - दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी शैक्षिक या गैर शैक्षिक व्यक्ति या विभाग के कर्मचारी या किसी छात्र के ऊपर शारीरिक हमला या शारीरिक बल प्रयोग करने की धमकी देना।
 - किसी हथियार को साथ में रखना या प्रयोग करना या उसे दिखाकर धमकी देना।
 - नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1976 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन।
 - अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र/छात्रों के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना।
 - किसी महिला के लिए मौखिक या शारीरिक रूप से अपमानजन्य शब्दों का प्रयोग करना, चाहे वह मजाक ही क्यों न हो।
 - किसी भी प्रकार से घूस देना या भ्रष्टाचार में लिप्त होना।
 - महाविद्यालय, विभाग या संस्था की संपत्ति को जानबूझ कर नुकसान पहुँचाना।
 - किसी भी प्रकार की दुर्भावना से ग्रसित होना या धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करना।
 - किसी भी कारण से विश्वविद्यालय के अकादमिक काम-काज में व्यावधान उत्पन्न करना।
 - विश्वविद्यालय के अधिनियम 15-C के अनुसार रैगिंग पूर्णतः निषिद्ध और दंडनीय है।
4. कुलपति विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाये रखने के लिए बिना पक्षपात के किसी भी छात्र और छात्राओं के प्रति उचित कार्यवाई का आदेश दे सकते हैं।
 - संबंधित छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय से सदा के लिए निष्कासित किया जा सकता है। या
 - संबंधित छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय से एक निश्चित अवधि के लिए निष्कासित किया जा सकता है / अथवा एक निश्चित अवधि के लिए महाविद्यालय, विभाग या विश्वविद्यालय के अन्य संस्थानों में दाखिला

लेने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ।

- आर्थिक दंड भरने का निर्देश दिया जा सकता है या विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने से एक या उससे अधिक सत्रों के लिए वंचित किया जा सकता है। या ऐसे छात्र/छात्रा अगर किसी परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, तो उस परीक्षा/परीक्षाओं को निरस्त किया जा सकता है।
 - 5. महाविद्यालय के प्राचार्य, संस्था के प्रमुख, विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभागों के प्रमुख, पुस्तकालयाध्यक्ष आदि के पास अनुशासनात्मक कार्यवाई के अधिकार और शक्ति होंगे और वे महाविद्यालय, विभाग और अकादमिक परिसर में अनुशासनिक माहौल सुनिश्चित करेंगे और उसे बनाये रखने के लिए प्राधिकारी, प्रतिनिधि या समिति नियुक्त करेंगे ।
 - 6. कुलपति और प्रॉक्टर की उपरोक्त शक्तियों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले अनुशासन और उचित आचरण के विस्तृत नियम बनाए जायेंगे । जहाँ आवश्यक होगा वहाँ इस विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के प्राचार्यों, हाल प्रमुखों, संकायों के डीन और विभागाध्यक्षों द्वारा पूरक नियम बनाए जा सकते हैं । वे उपरोक्त अनुशासन सम्बन्धी नियमों को प्रयोग में लायेंगे, इसके लिए उचित ढांचे का निर्माण, प्रबंधन और नेतृत्व करेंगे ।
- प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि इन नियमों की एक प्रति वे अपने पास रखेंगे ।
7. नामांकन के समय प्रत्येक छात्र/छात्राओं को इस आशय का एक स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना होगा कि अनुशासनहीनता की स्थिति में उनके खिलाफ विश्वविद्यालय के अधिनियम/नियम/अध्यादेशों के तहत कार्यवाई की जा सकती है ।

अध्यादेश 15 - C: रैगिंग निषेध और सजा

1. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के किसी महाविद्यालय/विभाग या संस्थान के किसी भी हिस्से में अथवा सार्वजनिक परिवहन में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित तथा दंडनीय अपराध है /
2. रैगिंग से संबंधित कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक कार्य/प्रयत्न अनुशासनहीनता के अंतर्गत माना जायेगा और उसका निराकरण इस अध्यादेश के तहत किया जायेगा ।
3. इस अध्यादेश के अनुसार रैगिंग का अर्थ साधारणतया ऐसे कार्य, आचरण, व्यवहार से है जिनके द्वारा वरिष्ठ छात्रों की हैसियत को नए सिरे से नामांकित छात्रों या किसी प्रकार से कनिष्ठ या निम्नस्तरीय माने जाने वाले छात्रों के सामने लाया जाता है इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किये जाने वाले निम्नांकित कार्य और व्यवहार शामिल हैं: —
 - (क) शारीरिक उत्पीड़न या शारीरिक बल के उपयोग की धमकी ।
 - (ख) महिला विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा, गरिमा तथा सम्मान का उल्लंघन ।
 - (ग) अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के स्तर, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन ।
 - (घ) छात्रों का उपहास, अवमानना तथा उनके आत्म-सम्मान को प्रभावित करना ।
 - (ङ) गाली-गलौज, आक्रामकता, अश्लील इशारे और व्यवहार ।
4. महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या, विभाग या संस्था के प्रमुख, महाविद्यालय के अधिकारी या विश्वविद्यालय के छात्रावास या आवासीय हाल के अधिकारी रैगिंग की घटना की किसी भी सूचना पर तत्काल कार्यवाई करेंगे ।
5. उपरोक्त उपनियम में किसी बात का उल्लेख न होने की स्थिति में प्रॉक्टर स्वतः संज्ञान लेकर किसी घटना के बारे में पूछताछ कर सकते हैं और घटना की प्रकृति तथा उसमें शामिल लोगों की पहचान कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।
6. प्रॉक्टररैगिंग के अपराधियों की पहचान स्थापित करने और रैगिंग की घटना की प्रकृति की प्रारंभिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं ।
7. यदि किसी महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग या संस्था के अध्यक्ष या प्रॉक्टर इस बात से संतुष्ट हो जाते

हैं कि किसी कारण वश लिखित रूप में जांच की कार्यवाही प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा तो वे कुलपति को तदनुसार सलाह दे सकते हैं ।

8. जब कुलपति इस बात से संतुष्ट हो जाते/जाती हैं कि ऐसी पूछताछ करना वांछित नहीं है, तो उनका निर्णय अंतिम होगा ।
9. अध्यादेश के उपनियम (5) या (6) के तहत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा उपनियम (7) के तहत संबंधित अधिकारी द्वारा उपनियम-3(क), (ख), (ग) में उल्लिखित रैगिंग की घटनाओं का खुलासा करने पर कुलपति दोषी छात्र/छात्रों को एक निश्चित अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश अथवा निर्देश दे सकते हैं ।
10. रैगिंग के अन्य मामलों में कुलपति छात्र/छात्रों को निष्कासित करने, एक निश्चित अवधि तक महाविद्यालय या विभाग के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा रैगिंग में शामिल छात्र/छात्रों के द्वारा दी गई परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश या निर्देश दे सकते हैं ।
11. दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री या डिप्लोमा धारी छात्र यदि इस अध्यादेश के तहत दोषी पाए जाते हैं तो विश्वविद्यालय उनकी डिग्री या डिप्लोमा को वापस लेने के लिए कार्यवाही कर सकता है ।
12. इस अध्यादेश के तहत रैगिंग के लिए किसी भी प्रकार के उकसावे को रैगिंग के समतुल्य (बराबर) ही माना जायेगा ।
13. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के सभी संस्थान इस अध्यादेश के तहत जारी अनुदेशों/निर्देशों का पालन करने तथा कुलपति को प्रभावी ढंग से इस अध्यादेश का कार्यान्वयन करने में सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे ।

अध्यादेश 15-C के पालनार्थ कुलपति का आदेश :

इस अध्यादेश के तहत यदि किसी अधिकारी/प्राधिकरण द्वारा रैगिंग की घटना की रिपोर्ट दी जाती है तो घटना में शामिल छात्र/छात्रों को एक निश्चित अवधि के लिए निष्कासित कर दिया जायेगा । रिपोर्ट में नामित गैर छात्र/छात्रों के खिलाफ भारत के आपराधिक दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी और वे पांच वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने के लिए अपात्र घोषित कर दिए जायेंगे । जिन छात्र/छात्रों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी उन्हें प्राकृतिक न्याय के नियम के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जायेगा

अध्यादेश 15-D कार्य-स्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम - 2013 (विधि एवं न्याय मंत्रालय)

यह अधिनियम कार्य-स्थल पर होने वाले यौन-उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ इसके रोकथाम तथा इससे संबंधित शिकायत के निवारण की सुविधा प्रदान करता है । यौन-उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में महिलाओं को दिए गए अधिकारों का हनन होता है । गरिमा के साथ और यौन-उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में काम करने के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में मानवाधिकार के रूप में पहचाना गया है और भारत सरकार ने भी 25 जून 1993 को इसकी पुष्टि की है तथा कार्य-स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए आवश्यक प्रावधानों का निर्माण किया है । विस्तृत जानकारी के लिए निम्नांकित वेबसाइट का अवलोकन करें—

<http://www.shebox.nic.in/assets/site/main/images/Sexual-Harassment-at-Workplace-Act.pdf>.

IMPORTANT ORDINANCES OF THE UNIVERSITY

Successful applicants will be required to abide by the Ordinances of the University and will be required to provide a written undertaking to this effect at the time of admission. A few extracts of important ordinances are reproduced here.

ORDINANCE XV-B: Maintenance of discipline among Students of the University

1. All powers relating to discipline and disciplinary action are vested in the Vice-Chancellor.
2. The Vice-Chancellor may delegate all or such powers as he / she deems proper to the Proctor and to such other persons as he/she may specify in this behalf.
3. Without prejudice to the generality of power to enforce discipline under the Ordinance the following shall amount to acts of gross indiscipline:
 - Physical assault, or threat to use physical force, against any member of the teaching and non-teaching staff of any Institution / Department and against any student within the University of Delhi
 - Carrying of, use of or threat to use of any weapons
 - Any violation of the provisions of the Civil Rights Protection Act, 1976
 - Violation of the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled castes and tribes
 - Any practice-whether verbal or otherwise-derogatory of women
 - Any attempt at bribing or corruption in any manner
 - Willful destruction of institutional property
 - Creating ill-will or intolerance on religious or communal grounds
 - Causing disruption in any manner of the academic functioning of the University system;
 - Prohibition of Ragging as per Ordinance XV-C.
4. Without prejudice to the generality of his / her powers relating to the maintenance of discipline and taking such action in the interest of maintaining discipline as may seem to him/ her appropriate, the Vice-Chancellor, may in the exercise of his / her powers aforesaid order or direct that any student or students -
 - be expelled; or
 - be, for a stated period rusticated; or
 - be not for a stated period, admitted to a programme or programmes of study in a College, Department or Institution of the University; or

- be fined with a sum of rupees that may be specified; or
- be debarred from taking a University or College or Departmental Examination or Examinations for one or more years; or that the result of the student or students concerned in the Examination or Examinations in which he /she or they have appeared be cancelled.

Institutions, Halls and teaching in the concerned Departments. They may exercise their authority through, or delegate authority to such of the teachers in their Colleges, Institutions or Departments as they may specify for these purposes.

5. Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor and the Proctor as aforesaid, detailed rules of discipline and proper conduct shall be framed. These rules may be supplemented, where necessary, by the Principals of Colleges, Heads of Halls, Deans of Faculties and Heads of Teaching Departments in this University. Each student shall be expected to provide himself / herself with a copy of these rules. At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration that on admission he /she submits himself / herself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and several authorities of the University who may be vested with the authority to exercise discipline under the Acts, the Statutes, the Ordinances and the rules that have been framed therein by the University.

ORDINANCE XV-C: Prohibition and Punishment for Ragging

1. Ragging in any form is strictly prohibited, within the premises of College / Department or Institution and any part of Delhi University system as well as on public transport.
2. Any individual or collective act or practice of ragging constitutes gross indiscipline and shall be dealt with under this Ordinance.
3. Ragging for the purposes of this Ordinance, ordinarily means any act, conduct or practice by which dominant power or status of senior students is brought to bear on students freshly enrolled or students who are in any way considered junior or inferior by other students; and includes individual or collective acts or practices which:
 - Involve physical assault or threat to use of physical force.
 - Violate the status, dignity and honour of women students.
 - Violate the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled caste and tribe.
 - Expose students to ridicule and contempt and affect their self-esteem.
 - Entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behavior.

4. The Principal of a College, the Head of the Department or an Institution, the authorities of College, or University Hostel or Halls of Residence shall take immediate action on any information of the occurrence of ragging.
5. Notwithstanding anything in Clause above, the Proctor may also suo moto enquire into any incident of ragging and make a report to the Vice-Chancellor of the identity of those who have engaged in ragging and the nature of the incident.
6. The Proctor may also submit an initial report establishing the identity of the perpetrators of ragging and the nature of the ragging incident.
7. If the Principal of a College or Head of the Department or Institution or the Proctor is satisfied that for some reason, to be recorded in writing, it is not reasonably practical to hold such an enquiry, he/ she may so advise the Vice-Chancellor accordingly.
8. When the Vice-Chancellor is satisfied that it is not expedient to hold such an enquiry, his/ her decision shall be final.
9. On the receipt of a report under Clause (5) or (6) or a determination by the relevant authority under clause (7) disclosing the occurrence of ragging incidents described in Clause 3(a), (b) and (c) the Vice-Chancellor shall direct or order rustication of a student or students for a specific number of years.
10. The Vice-chancellor may in other cases of ragging order or direct that any student or students be expelled or be not for a stated period, admitted to a programme of study in a college, departmental examination for one or more years or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.
11. In case any students who have obtained degrees or diplomas of the University of Delhi are found guilty; under this Ordinance, appropriate action will be taken under Statute 15 for withdrawal of degrees or diploma conferred by the University.
12. For the purpose of this Ordinance, abetment to ragging whether by way of any act, practice or incitement of ragging will also amount to ragging.
13. All Institutions within the Delhi University system shall be obligated to carry out instructions / directions issued under this Ordinance, and to give aid assistance to the Vice-Chancellor to achieve the effective implementation of the Ordinance.

Order of the Vice-Chancellor in pursuance of Ordinance XV-C:

Where incident(s) of ragging are reported to the Vice-Chancellor by any authority under this Ordinance, the students(s) involved in ragging, shall be expelled for a specified term, designated in the order. Non-students involved in reports of ragging will be proceeded with under the criminal law of India; they will also be rendered ineligible for a period of five years from seeking enrolment in any of the institutions of the University of Delhi. Students against whom necessary action is taken under this note, will be given post decisional hearing, with strict adherence to the rules of natural justice.

ORDINANCE XV-D/The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (MINISTRY OF LAW AND JUSTICE)

An Act to provide protection against sexual harassment of women at work place and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected there with incidental thereto. WHEREAS sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under articles 14 and 15 of the Constitution of India and her right to life and to live with dignity under article 21 of the Constitution and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business which includes a right to a safe environment free from sexual harassment; AND WHEREAS the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognized human rights by international conventions and instruments such as Convention on the Elimination of all forms of discrimination against Women, which has been ratified on the 25th June, 1993 by the Government of India.

AND WHEREAS it is expedient to make provisions for giving effect to the said Convention for protection of women against sexual harassment at workplace. For details, please see the website

<http://www.shebox.nic.in/assets/site/main/images/Sexual-Harassment-at-Workplace-Act.pdf>.

खेल और इ.सी.ए कोटे में दाखिला

सत्र 2021–2022 में खेल/ इ. सी. ए की श्रेणी में दाखिला के लिए कृपया विश्वविद्यालय की सूचना बुलेटिन और महाविद्यालय की वेब साईट को देखें । अगर जरूरी हो तो महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रभारी एवं दाखिला समन्वयक से संपर्क करें ।

शारीरिक शिक्षा विभाग प्रभारी: डा. विवेक चौधरी

दाखिला समन्वयक: डा. कुसुमाकर पाण्डेय

SPORTS/ECA Admissions

For admission under Sports/ECA Category kindly refer to of University Bulletin of Information for Admission for 2021-22 and check the college website: <https://www.aurobindoe.du.ac.in/>. You may contact the physical education teacher/admission coordinator of the college, if necessary.

छात्र संघ

महाविद्यालय का छात्रसंघ एक निर्वाचित निकाय है जो महाविद्यालय छात्रसंघ के संविधान और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करता है। जो छात्र चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन्हें इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए । महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या छात्रसंघ के मुख्य संरक्षक होते हैं और किसी भी मामले में उनका निर्णय अंतिम होता है।

STUDENTS UNION

The College Students' Union is an elected body that functions according to the rules laid down in this regard by the University and the Constitution of the College Students' Union. Students who wish to contest the elections must be conversant with the same. The Principal is the Chief Patron of the Union and his/her decision shall be final.

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

छात्रों के बीच से सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिभाओं की खोज, उनके विकास और उन्नति के लिए निम्नांकित संस्थाएं सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों का आयोजन करती हैं:

सांस्कृतिकी, हिस्ट्री सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी, हिन्दी परिषद्, इकोनामिक्स सोसाइटी , श्री औरोबिन्दो विचार मंच, कैरियर गाइडेंस सेल, साइको क्लब, पालिटिकल साइंस सोसाइटी, कामर्स सोसाइटी, गाँधी स्टडी सर्किल, म्युजिक सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, ड्रामेटिक सोसाइटी , बी.ए प्रोग्राम सोसाइटी (उत्कर्ष)

CO-CURRICULAR ACTIVITIES

To discover, develop and promote socio-cultural talents and interests among the students the following:

Societies organise cultural and other academic activities:

1. Sanskritiki	2. History Society	3. English Literary society
4. Hindi Parishad	5. Economics Society	6. Sri Aurobindo Vichar Manch
7. Career Guidance Cell	8. Psycho Club	9. Political Science Society
10. Commerce Society	11. Gandhi Study Circle	12. Music Society
13. Debating Society	14. Dramatics Society	15. BA Prog. Society - Utkarsh

अदिति

छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि को उभारने और अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर एवं मंच प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालय अपनी वार्षिक पत्रिका 'अदिति' का प्रकाशन करता है। जो छात्र पत्रिका में अपना लेखकीय सहयोग देना चाहते हैं, उन्हें सत्र के आरम्भ में सम्बद्ध संकाय सदस्यों से संपर्क करना चाहिए।

To inculcate literacy habits and provide a forum to express oneself, the College brings out 'ADITI' its annual magazine. Those interested in contributing to the magazine should contact the concerned faculty members in the first term of the session.

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस)

महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई साक्षरता अभियान, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य एवं पोषण, परिवार कल्याण, एड्स जागरूकता शिविर, कल्याणकारी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करने, परिसर के विकास एवं उन्नति के लिए प्रयत्न करने आदि अनेक सामुदायिक विकास के कार्यों में व्यस्त रहती है। इस योजना से जुड़ने के इच्छुक छात्र महाविद्यालय के एन.एस.एस प्रोग्राम –आफिसर से संपर्क कर के इस योजना में अपना नामांकन करा सकते हैं।

NATIONAL SERVICE SCHEME

The N.S.S. Unit of the College is engaged in several community development activities like Literacy Campaign, Blood Donation Camp. Health & Nutrition, Family Welfare, AIDS Awareness Camps, work in Welfare institutions, improvement of Campus etc. For this the volunteers work with several welfare Institutions and N.G.O's. Students can enroll themselves in N.S.S. by contacting the N.S.S. Programme Officer.

राष्ट्रीय छात्र-सैनिक दल (एन.सी.सी)

महाविद्यालय की अपनी कोई एन. सी. सी इकाई नहीं है। जो छात्र इससे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें अपना नामांकन मार्निंग कालेज की एन. सी. सी इकाई में कराना चाहिए।

NATIONAL CADET CORPS

The College does not have an N.C.C. Unit of its own. Students interested in joining N.C.C. should enroll themselves with the Morning College N.C.C. Unit.

अध्ययन अध्यापन और सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में पुस्तकालय की महति भूमिका होती है। इसीलिए किसी संस्थान के पुस्तकालय को उस संस्थान के ज्ञान और सूचना के केन्द्र के रूप में अथवा उस संस्थान के हृदय के रूप में जाना जाता है। श्री अरविन्द महाविद्यालय (सान्ध्य) भी एक पूर्णतः सुसज्जित, सूचना – संचार की तकनीकी सुविधाओं से लैस वातानुकूलित पुस्तकालय है जिसमें सभी प्रासंगिक विषयों की 44000 से अधिक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके अलावा इस पुस्तकालय में एक संदर्भ अनुभाग भी है जिसमें संदर्भ ग्रंथ, विश्वकोश, शब्दकोश, क्लासिक साहित्य, सी. डी. आदि का समृद्ध संग्रह है। इसमें विभिन्न प्रकार के मुद्रित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं का भी संग्रह उपलब्ध है। छात्रों, संकाय सदस्यों एवं शिक्षकेतर कार्मिकों के लिए अलग-अलग वाचनालय की व्यवस्था है जिसमें प्रासंगिक मुद्रित और ई संसाधनों की सुविधा प्रदान की गई है।

पुस्तकालय की सभी सेवाएँ कम्प्यूटरीकृत हैं और यह एन.आइ.सी. द्वारा विकसित क्लाउड आधारित ई. संग्रहालय 4.0 पुस्तकालय प्रबन्धन सॉफ्टवेयर पर काम करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली के माध्यम से इंटरनेट और विभिन्न ई. संसाधनों के उपयोग के लिए पुस्तकालय में आठ कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध हैं। दृष्टि बाधित छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्क्रीन रीडिंग एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर से युक्त दो अतिरिक्त गैर दृश्य डेस्कटॉप की भी व्यवस्था की गई है। यह पुस्तकालय छात्रों को इंटरनेट की सुविधा तथा एन. लिस्ट ई. संसाधनों का उपयोग करने के लिए रिमोट लॉगइन एक्सेस की सुविधा भी प्रदान करता है।

पुस्तकालय का ई. मेल : library@aurobindoe

वेबलिंग : https://eg4.nic.in/DELHIGOV/OPAC/Default.aspx?LIB_Code=SACEVNDU

The Library is known as Knowledge centre and regarded as the heart of any educational institution. The College Library provides an environment for discovery, reflection and expansion of Information and knowledge. The College Library is committed to excellence in an innovative information service and supporting learning process of the College.

The College has a fully furnished air conditioned library. The library is well-equipped with more than 44,000 volumes of books of all relevant subjects and all ICT facilities. Apart from the catering of the books, related to the course requirement, the Library has a rich collection of the Reference section consisting of reference books, encyclopedias, classic collection of Literature, specific collections on Sri Aurobindo and Mahatma Gandhi, Hand Books, Dictionaries, CDs etc on different subjects for enriching the library collection. The Library with all its sections is computerised and it works on cloud based e-Granthalaya 4.0 Library Management software developed by NIC. Library subscribing numbers of printed National and International journals, magazines and newspapers. The Library staff helps and encourages the students to become skilled and responsible users.

Key Features of Library:

To Provide facility of various relevant printed and e-resources to the Faculty Members ,Non-Teaching staff and the students.

To provide facility of two computers with Non Visual Desktop Access (a Screen Reading Accessibility Software for the People with Visual Impairment).

To provide 08 computer systems in the library to access the Internet and various E-resources through the Delhi University Library System.

To provide fully computerized based various library operations and services to the users with the help of integrated library software.

To provide a facility of air conditioned reading rooms for the students and separate enclosures for faculty members

To provide a facility of Internet access and A remote login access facility of N-LIST e-resources provided by the college library to the students.

SACE Library Email:library@aurobindoe

SACE Library Web Link: https://eg4.nic.in/DELHIGOV/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=SACEVNDU

महत्वपूर्ण नियम :

1. किसी भी परिस्थिति में अनुशासन और नियमितता के साथ समझौता नहीं किया जायेगा। एक सेमेस्टर में दो तिहाई से कम उपस्थिति होने पर छात्र/छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी
2. छेड़खानी की किसी भी गतिविधि पर सीधे निष्कासन की सजा मिलेगी । लड़कों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शिष्टाचार को बनाये रखें और महाविद्यालय की लड़कियों एवं महिला कर्मचारियों के प्रति उचित सम्मान का प्रदर्शन करें ।
3. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान प्रतिबंधित है । महाविद्यालय परिसर 'धूम्रपान वर्जित क्षेत्र' है । इस नियम का उल्लंघन करने वाले छात्र/छात्रा सख्त सजा के पात्र होंगे ।
4. प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपना पहचान-पत्र अपने साथ रखना होगा और महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी द्वारा मांगे जाने पर उसे तुरंत प्रस्तुत करना होगा। पहचान-पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में महाविद्यालय को इसकी तुरंत सूचना देनी होगी और पुलिस थाने में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करानी होगी । शुल्क के रूप में 100 रुपये महाविद्यालय में जमा करके छात्र/छात्रा डुप्लीकेट (प्रतिरूप) पहचान-पत्र प्राप्त कर सकते हैं ।
5. छात्रों को नियमित रूप से विद्यार्थी सूचना- पट्ट को पढ़ना चाहिए। छात्रों को उनसे संबंधित सभी सूचनाएँ महाविद्यालय के विद्यार्थी सूचना- पट्ट और महाविद्यालय के वेब साईट के माध्यम से दी जाएगी ।
6. कोई भी छात्र गाली-गलौच का प्रयोग नहीं करेगा । यह उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय क्षेत्र, धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति आदि पर आधारित किसी भी प्रकार के भेद-भाव के प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण नहीं करता है ।
7. महाविद्यालय परिसर को साफ और गंदे कागजात एवं कूड़े-कचरे से मुक्त रखना चाहिए ।
8. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे गलियारों में अनावश्यक रूप से न तो घूमें और न ही शोर मचाएँ। खासतौर पर तब जब कक्षाएं चल रही हों । साथ ही उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे प्रधानाचार्य के कक्ष या कार्यालय के सामने समूहों में न खड़े हों ।
9. कार्यालय से वांछित कोई भी सूचना निर्धारित समय के दरम्यान काउंटर के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए ।
10. छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय के सभी समारोहों में उपस्थित रहें । किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में निजी ऑर्केस्ट्रा दल को अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय सरकार प्रायोजित संगठनों के । इसके लिए भी प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होगी ।
11. महाविद्यालय की संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने या उसका दुरुपयोग करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा ।
12. यदि कोई छात्र प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को महाविद्यालय में बुलाता है तो उसे निलम्बित कर दिया जायेगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
13. कोई भी चिकित्सा अवकाश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक छात्र स्वस्थ होने के बाद महाविद्यालय आने के तुरंत बाद किसी सरकारी अस्पताल / औषधालय से निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र नहीं देता । सत्र के अंत में कोई भी चिकित्सा प्रमाण -पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
14. असाधारण परिस्थितियों को छोड़ कर किसी भी स्थानांतरण को अनुमति नहीं दी जाएगी ।
15. किसी नियम का अज्ञान बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

IMPORTANT RULES

1. Discipline and regularity shall not be compromised under any circumstance. A student falling short of two-third attendance in a semester may not be allowed to appear in the exams.
2. Eve-teasing would straight away lead to rustication. Boys must maintain decorum and show due respect towards girls and women staff of the college.
3. Smoking is banned in the College. The College is a No Smoking Zone. Violation shall attract strict punishment.
4. Every student must carry his identity card and present it immediately when asked for by any member of the college staff. In case of loss of Identity Card the college should be informed immediately and an F.I.R. should be lodged with the police. Rs. 100/- will be charged for issuing a duplicate card.
5. Students must read the Student Notice Board regularly. All information will be communicated to students only through notices on the Students' Notice Board/College website.
6. No student shall use abusive words. It may be noted that the college follows zero tolerance policy towards discrimination of any kind based on region, religion, caste, gender, social status, etc.
7. College premises must be kept clean and free of torn paper and other litter.
8. Students are expected not to loiter in the corridors or make a noise especially when classes are in progress and not to stand in groups in front of the Principal Room or the Office.
9. Any information desired from the office should be sought through the counter during the designated hours.
10. Students are required to attend all College functions. No private orchestra party or troupe would be allowed in any cultural programme except for Government sponsored organisations in which case prior permission from the Principal will be required.
11. Damaging or mishandling of College property shall be dealt with strict disciplinary action and invite a minimum fine of Rs. 500/-
12. Any student who invites an outsider in the college without the permission of the Principal will be suspended and strong action will be taken against him.
13. No medical leave will be granted unless the student produces a medical certificate from a Government Hospital / Dispensary immediately upon joining the college after becoming fit. No Medical Certificate will be entertained at the end of the session.
14. No migration shall be permitted except under exceptional circumstances.
15. Ignorance of any rule shall not be accepted as an excuse.

ADMISSION SCHEDULE 2021-22

Process	Date
Declaration of 1st Cut-Off by Colleges	1st October, 2021 (Friday)
Candidates to apply for Admission against 1st Cut-Off	10:00 am 04th Oct (Monday) - 11:59pm 06th Oct (Wednesday)
Colleges to complete approvals for Admission against 1st Cut-Off	Till 5:00pm 07th Oct (Thursday)
Last day of payment by candidates against 1st Cut-Off	5:00pm 08th Oct (Friday)
Declaration of 2nd Cut-Off by Colleges	09th October 2021 (Saturday)
Candidates to apply for Admission against 2nd Cut-Off	10:00 am 11th Oct (Monday) - 11:59 pm 13th Oct (Wednesday)
Colleges to complete approvals for Admission against 2nd Cut-Off	Till 5:00pm 14th Oct (Thursday)
Last day of payment by candidates against 2nd Cut-Off	5:00pm 15th Oct (Friday)
Declaration of 3rd Cut-Off by Colleges	16th October 2021 (Saturday)
Candidates to apply for Admission against 3rd Cut-Off	10:00 am 18th Oct (Monday) - 11:59 pm 21st Oct (Thursday)
Colleges to complete approvals for Admission against 3rd Cut-Off	Till 5:00pm 22nd Oct (Friday)
Last day of payment by candidates against 3rd Cut-Off	5:00pm 23rd Oct (Saturday)
Declaration of Special Cutoff* by Colleges	25th Oct (Monday)
Candidates to apply for Admission against Special Cut-Off	10:00 am 26th Oct (Tuesday) - 11:59pm 27th Oct (Wednesday)
Colleges to complete approvals for Admission against Special Cut-Off	5:00pm 28th Oct (Thursday)
Last day of payment by candidates against Special Cut-Off	5:00pm 29th Oct (Friday)
Declaration of 4th Cut-Off* by Colleges	30th October (Saturday)
Candidates to apply for Admission against 4th Cut-Off	10:00 am 1st Nov (Monday) - 11:59pm 2nd Nov (Tuesday)
Colleges to complete approvals for Admission against 4th Cut-Off	5:00pm 5th Nov (Friday)
Last day of payment by candidates against 4th Cut-Off	5:00pm 6th Nov (Saturday)
Declaration of 5th Cutoffs*	8th Nov (Monday)
Candidates to apply for Admission against 5th Cut-Off	10:00 am 9th Nov (Tuesday) – 11:59 pm 10th Nov (Wednesday)
Colleges to complete approvals for Admission against 5th Cut-Off	11:59 pm 11th Nov (Thursday)
Last date Payment of fee against 5th Cutoff	5:00pm 12th Nov (Friday)
Declaration of cutoffs against Special Drive* on Vacant Seats wherever available	13th Nov (Saturday)
Candidates to Apply Against Special Drive	14th -15th Nov (Sunday-Monday)
Last date for Payment of fee against Special Drive	16th Nov (Tuesday)

DETAILS OF FEES 2021-2022

Details of fee for the year 2021-2022 Sri Aurbindo College (Evening)

S.No. A	Maintenance Fund A/c No.2364	B.A. (Prog.)	B.A. (Prog.) with Music	B.Com.	B.A. (H) Hindi	B.A. (H) English	B.A. (H) Eco	B.A. (H) App.Psy	B.Com (H)	PwD Students All Courses
1	Admission Fee	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Tuition Fee @ 15 P.M.	180	180	180	180	180	180	180	180	0
3	Medical Fee	17	17	17	17	17	17	17	17	0
4	Identity Card Fee	29	29	29	29	29	29	29	29	29
5	Library Reading Room Fee	575	575	575	575	575	575	575	575	0
6	Electricity Fee	55	55	55	55	55	55	55	55	0
	Total: Maintenance Fund	861	861	861	861	861	861	861	861	34
B	Development Fund A/c No. 180									
	Development Fee @ Rs.10/- P.M.	120	120	120	120	120	120	120	120	0
C	Students Fund A/c No. 108									
1	Annual Day Fee	288	288	288	288	288	288	288	288	0
2	Applied Psychology Lab Fee @ 150PM	0	0	0	0	0	0	2070	0	0
3	Computer Lab Fee	230	230	230	230	230	230	460	1150	0
4	College C.C.A.S.H. Fee	8	8	8	8	8	8	8	8	0
5	College Students Union Fee	173	173	173	173	173	173	173	173	173
6	Games & Sports Fund	115	115	115	115	115	115	115	115	115
7	Office Automation Fee	345	345	345	345	345	345	345	345	345
8	College Magazine Fee	115	115	115	115	115	115	115	115	115
9	College Maintenance Fee	575	575	575	575	575	575	575	575	575
10	College Security Fee	345	345	345	345	345	345	345	345	345
11	Societies Fund	460	460	460	460	460	460	460	460	460
12	Students Aid Fund	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	Security Fund	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14	Journal Fee	0	0	115	0	0	0	0	115	0
15	Music Fee @30PM	0	414	0	0	0	0	0	0	0
16	Univ. C.C.A.S.H. Fee	2	2	2	2	2	2	2	2	0
17	Univ. Cultural Council Fee	5	5	5	5	5	5	5	5	0
18	Univ. Development Fund	600	600	600	600	600	600	600	600	0
19	Univ. Enrolment	200	200	200	200	200	200	200	200	0
20	Univ. Athletic Fee	50	50	50	50	50	50	50	50	0
21	Univ. Students Union Fee	20	20	20	20	20	20	20	20	20
22	Univ. Students NSS Fee	20	20	20	20	20	20	20	20	0
23	Univ. WUS Fee	5	5	5	5	5	5	5	5	0
	Total: Students Fund	4068	4482	4183	4068	4068	4068	6368	5103	2660
	Grand Total	5049	5463	5164	5049	5049	5049	7349	6084	2694

*University Examination fee for semester I & II

THE FACULTY

Principal (Officiating):	Prof. Kusum Lata, Ph.D.
Bursar:	Prof. Kusumakar Pandey, Ph.D.
Department of English:	Prof. Kusum Lata, Ph.D. Dr. Seema Mathur, Ph.D. Ms. Kanchan Mohindra, M.Phil. Dr. Mini Gill, Ph.D. (Teacher-in-charge) Dr. Kalpana Rohit, Ph.D. Dr. Rajni Kant Goswami, Ph.D.
Department of Hindi:	Dr. Indu Vrat Dua, Ph.D., D. Litt. (Teacher-in-Charge) Dr. Veena Gandhi, Ph.D. Dr. Ritu Jain, Ph.D. Prof. Kusumakar Pandey, Ph.D. Dr. Girish Chandra Joshi, Ph.D. Dr. Batti Lal Bairwa, Ph.D. Mr. Angad Tiwari, M.Phil. Prof. Munish Kumar Sharma, Ph.D.
Department of Economics:	Mr. Sanjeet Singh, M.A. Dr. R.K. Mishra, Ph.D. Ms. Anista Chauhan, M.Phil. (Teacher-in-charge) Mr. Tapas Ranjan Saha, M.Phil.
Department of Commerce:	Prof. Anil Kumar Singh, Ph.D. (Teacher-in-charge) Dr. Vibha Batra, Ph.D. Mr. Aman Singh Anahal, M.A. (Eco) Dr. Rovika Prem, Ph.D. Dr. Archana Aggarwal, Ph.D. Prof. Sumati Varma, Ph.D. Ms. Reena Yadav, M.Phil. Mr. Vikas Kumar Joshiya, M.H.R.O.D Dr. Meenakshi Thakur, Ph.D. Dr. Akhilesh Kumar Mishra, Ph.D. Dr. Amandeep Singh Nahar, Ph.D.
Department of History:	Dr. Sushant Kumar Bag, Ph.D. (Teacher-in-Charge) Ms. Anisha Srivastava, M.Phil.
Department of Political Science:	Dr. Subhash C. Rana, Ph.D. (Teacher-in-Charge) Ms. Anviti, M. Phil.
Department of Applied Psychology:	Dr. Monika Rikhi, Ph.D. Dr. Mahesh Kumar Darolia, Ph.D. Dr. Pragyendu, Ph.D. (Teacher-in-Charge)
Department of Physical Education:	Dr. Vivek Chaudhury, Ph.D. (Teacher-in-charge)
Department of Music:	Dr. Renu Rajan, Ph.D. (Teacher-in-Charge)

Administration

Administrative Officer : Mr. Yashpal Singh Talan, M.Com. M.A. (History)
Administrative Officer : Mr. Amarjit Sharma

Functionaries under RTI ACT 2005

Appellate Authority : Prof. Kusum Lata (011-41751306)
Public Information Officer : Mr. Angad Tiwari (9560732655)

ADMISSION COMMITTEE 2021-21

Admission Committee 2021-22

Prof. Kusumakar Pandey **Co-ordinator**

B. Com (Hons.)

Prof. Anil Kumar Singh **Convenor**
Dr. Shevata Marwah
Dr. Akhilesh Mishra

Mr. Rajesh Kumar Nigah
Ms. Rashmi Siag

B. Com

Ms. Reena Yadav **Convenor**
Dr. Rovika Prem
Mr. Vikas Kumar Joshiya
Ms. Leena

Dr. Archana Agrawal
Ms. Deepika Verma
Ms. Poonam Lakra
Dr. Rajeev Kumar Upadhyay

B.A. Programme

Dr. Batti Lal Bairwa **Convenor**
Dr. Renu Rajan
Dr. Abdul Kalam
Dr. S. C. Rana
Dr. S. K. Bag
Dr. Pinki Kumari
Dr. Guriya Kumari

Dr. Vivek Chaudhary
Dr. Mini Gill
Dr. Jyoti Kulshrestha
Ms. Anista Chauhan
Dr. Raman Kumar
Dr. Ajit Kumar
Mr. Ravi

B.A. (Hons.) English

Ms. Kanchan Mohindra **Convenor**
Dr. Ipshita Nath

Ms. Manisha Priyadarshini

B.A. (Hons.) Economics

Mr. Tapas Ranjan Saha **Convenor**
Mr. Abhinav Parasar

Mr. Swagat Raut

B.A. (Hons.) Applied Psychology

Dr. Pragyendu **Convenor**
Dr. Mahesh Kumar Darolia

Dr. Monika Rikhi
Dr. Sujit Ram Tripathi

B.A.(Hons.) Hindi

Dr.Indu Vrat Dua **Convenor**
Dr. Ritu Jain

Dr. Hriday Kumar

Grievance Committee

Dr. Rajni Kant Goswami Convenor	rajnikantgoswami@gmail.com	9871898168
Dr. Vibha Batra	drvibha@aurobindoc.du.ac.in	9811867951
Dr. Aman Singh Anahal	amans06@hotmail.com	8010404629
Dr. Saroj Kumar Rath	saroj lsaroj@gmail.com	9873059501
Mr. Surya Prakash Rathi	suryarathi77@gmail.com	8595718895

Help Desk

Dr. Kalpana Rohit Convenor	drkalpana@aurobindoe.du.ac.in	9876044924
Prof. Sumati Varma	varmasumati@aurobindoe.du.ac.in	9811958632
Mr. Rajeev Verma	vrajeeveco42@gmail.com	8882545996
Mr. Manu Chauhan	manu10chauhan@gmail.com	9718292564
Dr. Anita	kumarianita13@gmail.com	9871231894

Enabling Committee (SC/ST/OBC/EWS/PwD)

Mr. Aman Deep Nahar Convenor	amandeepn55@gmail.com	9876044924
Ms. Meenakshi Thakur	thakurmeenakshi10@yahoo.com	9811958632
Mr. Shyam Narayan Pandey	spandey@aurobindoe.du.ac.in	8882545996
Ms. Deepa Sharma	deepasharmahpu@gmail.com	9718292564
Dr. R. C. Garg	garg.rc10@gmail.com	9871231894
Ms. Preeti Verma	vermapreeti91@yahoo.com	9971575671

Admission Related Queries

Mr. Chandan Kumar Mishra	chandan@aurobindoe.du.ac.in	7532871222
Mr. Pankaj Kumar Tiwari	pankaj@aurobindoe.du.ac.in	9599116659
Mr. Anupam Bhargav	bhargav@aurobindoe.du.ac.in	7982644020
Ms. Jyoti Kumari	Jyoti@aurobindoe.du.ac.in	9319411930

ADMISSION COMMITTEE 2021-21



Prof. Kusumlata
Principal (Offg.)



Prof. Kusumakar Pandey
Bursar &
Coordinator Admission



Prof. Anil Kumar Singh
Convenor
B.com (Hons.) & B.com



Dr. Indu Vrat Dua
Convenor
B.A. (Hons.) Hindi



Ms. Anista Chauhan
Convenor
B.A. (Hons.) Economics



Dr. Batti Lal Bairwa
Convenor
B.A. (Prog.)



Dr. Mini Gill
Convenor
B.A. (Hons.) English



Dr. Pragyendu
Convenor, B.A. (Hons.)
Applied Psychology



Mr. Angad Tiwari
Convenor Prospectus
Committee & PIO

ADMISSION COMMITTEE 2021-21



Dr. Aman Deep Nahar
Convenor
Enabling Committee



Dr. Kalpana Rohit
Convenor
Help Desk



Dr. Rajni Kant
Convenor
Grievance Committee



Mr. Chandan Kumar Mishra
Sr. Tech Assistant



Mr. Pankaj Kumar Tiwari
Assistant



Mr. Anupam Bhargav
Junior Assistant


OTHER FUNCTIONARIES



Dr. Girish Chandra Joshi
Secretary
Staff Council



Mr. Yashpal Singh Talan
Administrative
Officer



Mr. Amarjit Sharma
Administrative
Officer



श्री अरविंद महाविद्यालय (सांध्य) (दिल्ली विश्वविद्यालय)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा ग्रेड बी + मान्यता प्राप्त

SRI AUROBINDO COLLEGE (EVENING)
(University Of Delhi)

Accredited with grade B+ by NAAC

Block B, Shivalik Colony, Malviya Nagar,
New Delhi, Delhi 110017, 011 2669 2986
<http://www.aurobindo.du.ac.in/>